भारत सरकार,
कर्मचारी चयन आयोग,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,
ब्लॉक स॰ 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

(आयोग की वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर दिनांक 05-09-2024 को प्रकाशनार्थ)

विज्ञप्ति

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी), असम राइफल्स में राइफलमैन परीक्षा और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही परीक्षा -2025

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि	05.09.2024 से 14.10.2024
ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि और समय	14.10.2024 (23:00)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने के लिए अंतिम तिथि और समय	15.10.2024 (23:00)
'आवेदन-पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' एवं सुधार राशि के ऑनलाईन भुगतान की तिथियां	05.11.2024 से 07.11.2024(23:00)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का अनंतिम कार्यक्रम	जनवरी –फरवरी, 2025

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता हो"

F. No. HQ-C-3007/12/2024-C-3 - गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित भर्ती योजना तथा गृह मंत्रालय और कर्मचारी चयन आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब.), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (के.औ.सु.ब.), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (के.रि.पु.ब.), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (भा.ति.सी.पु.ब.), सशस्त्र सीमा बल (स.सी.ब.), सचिवालय सुरक्षा बल (स.सु.ब.) में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी), असम राइफल्स में राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही के पदों पर भर्ती के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा। इस भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई), शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (पीएसटी), शारीरिक क्षमता परीक्षा (पीईटी), चिकित्सा परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन होंगे। इस भर्ती परीक्षा की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

1.1 इस परीक्षा की विज्ञप्ति, परीक्षा की रूप रेखा और गृह मंत्रालय द्वारा सूचित की गई रिक्तियों के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी की जाएगी।

1.2 आवेदन केवल आनलाइन माध्यम के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे।

1.3 आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात (i) असमिया, (ii) बांग्ला, (iii) गुजराती, (iv) कन्नड़, (v) कोंकणी, (vi) मलयालम, (vii) मणिपुरी, (viii) मराठी, (ix) ओड़िया, (x) पंजाबी, (xi) तमिल, (xii) तेलगु, और (xiii) उर्दू में आयोजित की जाएगी।

1.4 शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (पीएसटी) / शारीरिक क्षमता परीक्षा (पीईटी), विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) / पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) और दस्तावेज सत्यापन (डीवी) संबंधी कार्यक्रम और उसका आयोजन कें.स.पु.बलों द्वारा किया जाएगा।

1.5 अभ्यर्थियों से वांछित योग्यता प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों का संग्रहण और उनका सत्यापन कें.स.पु.बलों द्वारा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के दौरान किया जाएगा।

1.6 स.सु.ब. में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और एनसीबी में सिपाही की रिक्तियां अखिल भारतीय आधार पर भरी जाएंगी,जबकि अन्य सभी के.स.पु. बलों में रिक्तियां विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भरी जाएंगी। इसके अलावा, सीमावर्ती रक्षक जिलों और उग्रवाद / नक्सल प्रभावित जिलों के लिए रिक्तियां निर्धारित की गई हैं जो केवल इन जिलों के अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षित हैं।

1.7 सीमावर्ती रक्षक जिलों और उग्रवाद / नक्सल प्रभावित जिलों के नामों की सूची **अनुबंध-XI** और **अनुबंध-XII** में दी गई है।

1.8 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदनपत्र में दी गई बल संबंधी वरीयता के आधार पर आयोग द्वारा अंतिम परीक्षा परिणाम और बल आबंटन किया जाएगा, यह उनके शारीरिक मापदंड परीक्षा, शारीरिक क्षमता परीक्षा, चिकित्सा परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने और परीक्षा विज्ञप्ति में शामिल अन्य शर्तों के अधीन होंगे।

1.9 परीक्षा की विज्ञप्ति, कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन तथा योग्यता सूची तैयार करने और चयनित अभ्यर्थियों के बल आबंटन से संबंधित न्यायिक मामलों / आरटीआई / लोक शिकायतों पर क.च.आ. द्वारा कार्रवाई की जाएगी तथा अन्य सभी मामलों, जैसे परीक्षा की रूप रेखा, रिक्तियों की संख्या, पीईटी / पीएसटी, डीएमई / आरएमई, दस्तावेज सत्यापन आदि का आयोजन संबंधी कार्रवाई गृह मंत्रालय / समन्वयकर्ता के.स.पु.ब द्वारा की जाएगी।

1.10 परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेशपत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट और साथ ही के.रि.पु.ब. की वेबसाइट अर्थात https://**www.crpf.gov.in** पर प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा प्रक्रिया की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट अर्थात https://**www.ssc.gov.in** , संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों और नोडल के.स.पु.ब. अर्थात के.रि.पु.ब. की वेबसाइट का अवलोकन करें और परीक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर लें।

2 **वेतनमान: एनसीबी में सिपाही के पद के लिए** वेतन स्तर-1 (रु. 18000 से 56900) और अन्य सभी पदों के लिए वेतन स्तर- 3 (रु. 21,700-69,100) .

3. **रिक्तियां :** रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार हैं :-

बल	पुरूष					योग	महिला						सकल योग
	अजा	अजजा	अपिव	आकव	अना		अजा	अजजा	अपिव	आकव	अना	योग	
सीसुब	2018	1489	2906	1330	5563	**13306**	356	262	510	234	986	**2348**	**15654**
केऔसुब	959	687	1420	644	2720	**6430**	106	71	156	74	308	**715**	**7145**
केरिपुब	1681	1213	2510	1130	4765	**11299**	34	20	53	19	116	**242**	**11541**
ससीब	122	79	187	82	349	**819**	0	0	0	0	0	**0**	**819**
भातिसीपु	345	326	505	197	1191	**2564**	59	59	90	21	224	**453**	**3017**
असम राइफल्स	124	223	205	109	487	**1148**	9	21	16	6	48	**100**	**1248**
स.सु.बल	5	3	9	4	14	**35**	0	0	0	0	0	**0**	**35**
एनसीबी	0	1	5	0	5	**11**	0	0	4	1	6	**11**	**22**
योग	**5254**	**4021**	**7747**	**3496**	**15094**	**35612**	**564**	**433**	**829**	**355**	**1688**	**3869**	**39481**

3.1 ये रिक्तियां अनंतिम हैं । रिक्तियों का विस्तृत विवरण (राज्यवार, बल-वार, लिंग-वार, श्रेणी-वार) आदि आयोग की वेबसाइट (https://ssc.gov.in> For Candidates > Tentative Vacancy) पर उपलब्ध है । रिक्तियों की संख्या में किसी भी परिवर्तन के बारे में आयोग की वेबसाइट के जरिए सूचित किया जाएगा।

3.2 भूतपूर्व सैनिको (भूपूसै.) के लिए 10% रिक्तियाँ आरक्षित है। यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं होते है तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों को संबंधित श्रेणियों के गैर- भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी।

3.3 चूंकि के.स.पु.बलों में रिक्तियां संबंधित राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित की गई हैं, अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चिकित्सा परीक्षा / दस्तावेज सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा उल्लिखित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का अधिवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा तथा अभ्यर्थी को विस्तृत चिकित्सा परीक्षा कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र / स्थायी निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे दस्तावेजों के सत्यापन के समय राज्य से संबंधित विवरण में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी और उसकी अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें ।

3.4 नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है ।

3.5 चयन के उपरांत अभ्यर्थियों की नियुक्ति विभिन्न के.स.पु.ब. में प्रशिक्षण स्थल की उपलब्धता और रिक्तियों के अधीन है। इसलिए, अभ्यर्थियों को रिक्तियों और साथ ही साथ प्रशिक्षण स्थल की उपलब्धता के अनुसार अलग-अलग चरणों में नियुक्त किया जा सकता है । कार्य ग्रहण और सेवा संबंधी मुद्दें, वरिष्ठता, प्रशिक्षण आदि परीक्षा में भाग लेने वाले विभिन्न संगठनों के नियमों व विनियमों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

3.6 आयोग परीक्षा के अंतिम परिणाम की घोषणा करने के उपरांत कोई प्रतीक्षा सूची/आरक्षित सूची तैयार या उसका अनुरक्षण नहीं करेगा.

4. **राष्ट्रीयता / नागरिकता** : अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए। के.स.पु.ब. और असम राइफल्स में रिक्तियां राज्य / संघ राज्य-क्षेत्रवार हैं, अतः अभ्यर्थी अपने राज्य / संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अधिवास / स्थायी निवास प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करें।

5. **आयु सीमाः** आयु की गणना करने के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14-07-1988 के का.ज्ञा.सं. 14017/70/87-स्था.(भ.नि.) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, निर्णायक तारीख 01-01-2025 निर्धारित की गई है। तदनुसार, दिनांक 01-01-2025 को अभ्यर्थी की आयु 18-23 वर्ष होनी चाहिए (अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02.01.2002 से पहले और 01.01.2007 के बाद न हुआ हो।

5.1 विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट निम्नानुसार है:

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य (अनुज्ञेय) छूट
1	अजा / अजजा	5 वर्ष
2	अपिव	3वर्ष
3	भूतपूर्व सैनिक	गणना की तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
4	1984 के दंगों अथवा गुजरात में 2002 के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए दंगा पीड़ितों के बच्चे और उनके आश्रित (अनारक्षित/ आकव)	5 वर्ष
5	1984 के दंगों अथवा गुजरात में 2002 के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए दंगा पीड़ितों के बच्चे और उनके आश्रित (अपिव)	8 वर्ष
6	1984 के दंगों अथवा गुजरात में 2002 के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए दंगा पीड़ितों के बच्चे और उनके आश्रित (अजा / अजजा)	10 वर्ष

5.2 आयोग द्वारा आयु निर्धारण हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई वही जन्म तिथि स्वीकार की जाएगी जोकि उसके मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज की गई है और बाद में उसमें किसी भी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा या उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि जन्म-तिथियां मेल नहीं खाती हैं तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता परीक्षा के किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

5.3 ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल सेवा नियमित आधार पर नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त, 2014 के

का.ज्ञा.सं.36034/1/2014-स्था(पुन.) में यथा उल्लिखितानुसार वे उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद उन विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा/करता है/करती है/वचन देता है/वचन देती है।

5.4 सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से सशस्त्र सेनाओ में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

5.5 आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से, संघ के तीनों सशस्त्र बलों के किसी सैनिक को भूतपूर्व सैनिक के रूप में माना जाने के लिए, अपने आवेदन को प्रस्तुत करने के प्रासंगिक समय (इसके बाद 'उसके' रूप में पढ़ा जा सकता है) से पूर्व वह पद/सेवा हेतु भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त करता हो अथवा वह सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अपनी अर्जित पात्रता स्थापित करने की स्थिति में हो कि वह आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 14-10-2024 से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र बलों में नियुक्ति की निर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त करना होगा। बशर्ते, जब चयन प्रक्रिया (आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से अंतिम परिणाम की घोषणा तक) में एक वर्ष से अधिक समय लगता है, तो अभ्यर्थी को भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत केवल इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि उसने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के एक वर्ष के बाद खुद को सशस्त्र बलों से मुक्त कर लिया है।

5.6 **स्पष्टीकरण** : भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है :-

5.6.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौसेना या वायु सेना मे लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रुप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

(क) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद या अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा सेवानिवृत्त / कार्यमुक्त/ या सेवामुक्त हुए हों; या

(ख) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्साआधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य निशक्तता पेंशन दी गई हो; या

(ग) जिसे कर्मचारियों की संख्या में कटौती के परिणामस्वरुप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो;

या

5.6.2 जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक नामतः सतत सेवा या अर्हक सेवा की खंडित पारियों के पेंशन धारक भी शामिल हैं ;

या

5.6.3 सेना डाक सेवा के वे कार्मिक जो रेगुलर सेना का भाग हों और थल सेना डाक सेवा से अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बगैर पेंशन के साथ सेवा निवृत हुए हों या सशस्त्र सेवा के कारण या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से कार्य-मुक्त किए गए हों और उन्हें चिकित्सा या अन्य निशक्तता पेंशन दी गयी हो ।

या

5.6.4 कार्मिक, जो 14 अप्रैल,1987 से पहले छह महीने से अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर सेना डाक सेवा में थे ।

या

5.6.5 प्रादेशिक सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता

या

5.6.6 चिकित्सा आधार पर बोर्ड द्वारा कार्यमुक्त किए गए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें निशक्तता पेंशन मंजूर की गयी हो।

5.7 संघ की सशस्त्र सेनाओ में कार्यरत व्यक्ति जो सेवा से निवृत्त होने के पश्चात "भूतपूर्व सैनिक" की श्रेणी में आएंगे, को सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी करने से एक वर्ष पहले पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन करने तथा भूपूसै की सभी रियायतों का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु उन्हें तब तक वर्दी (यूनिफार्म) छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वे संघ की सशस्त्र सेनाओ में सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी नहीं कर लेते।

5.8 **भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी में भू.पू.सै. नहीं लिखना चाहिए ।**

5.9 बच्चों से तात्पर्य

5.9.1 पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) अथवा

5.9.2 पुत्री (दत्तक पुत्री सहित)

5.10 आश्रित परिवार के सदस्यों से तात्पर्य

5.10.1 पति / पत्नी अथवा

5.10.2 बच्चे अथवा

5.10.3 अविवाहित पीड़ित के मामले में भाई अथवा बहन जो उस पीड़ित व्यक्ति के दंगे में मारे जाने के समय उस पर पूर्णतया आश्रित था / थी, पात्र होगा / होगी । श्रेणी संख्या 04 / 05 / 06, में ऊपरी आयु में छूट के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को इस आशय का संबंधित जिला कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, जहां पीड़ित व्यक्ति मारा गया था, से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6 प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाणपत्रों का प्रारुपः

6.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए चयन किए जाने हेतु इच्छुक हैं / अथवा आयु में छूट चाहते हैं, उन्हे विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के समय दस्तावेज़ सत्यापन के लिए संबन्धित के.स.पु.ब द्वारा मांगे जाने पर

विहित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अन्यथा अजा / अजजा / अपिव / आकव/भूपूसै के दर्जे से संबंधित उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता / आवेदन को सामान्य (अना) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी ने आयु में कोई अन्य छूट मांगी है और वह संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसके नाम पर केवल उसकी संबंधित श्रेणी अर्थात अजा / अजजा / अपिव / आकव / अना. में विचार किया जाएगा। इन प्रमाणपत्रों के प्रारुप परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न हैं।

6.2 एक राज्य / संघ-राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य / संघ-राज्य क्षेत्र (अर्थात अधिवास का राज्य / संघ-राज्य क्षेत्र) में प्रवसन पर कोई अभ्यर्थी जो अजा, अजजा या अपिव से संबंधित हो, उसे अपना विकल्प सूचित करना होगा कि वह अपने **मूल राज्य /संघ-राज्य क्षेत्र** से आरक्षण का लाभ लेना चाहता है या **प्रवसन राज्य से अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में शामिल होना चाहता है**। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय इस विकल्प का उपयोग करना आवश्यक हैं। आवेदन फॉर्म अंतिम रूप से जमा करने / ऑनलाइन आवेदन के विंडों संशोधन करने के बाद ऐसे विकल्प में किसी भी परिवर्तन का अनुरोध आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी अपने **मूल राज्य से आरक्षण का अपना लाभ लेना चाहता है** तो, उसे आवेदन पत्र में अपने मूल राज्य और जिले की जानकारी और साथ ही, अपने वर्तमान अधिवास राज्य / संघ-राज्य क्षेत्र और जिले की जानकारी देनी होगी और **उसकी अभ्यर्थिता पर उसके मूल राज्य / संघ-राज्य क्षेत्र हेतु विचार किया जाएगा**। ऐसे अभ्यर्थी को अपने **मूल राज्य / संघ-राज्य क्षेत्र से अधिवासी प्रमाण-पत्र जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।** तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों को मूल राज्य / संघ-राज्य क्षेत्र से / आधारित जाति प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

6.3 यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदनपत्र में यह दावा करता है कि उसने अपनू मूल राज्य / संघराज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य / संघराज्य क्षेत्र (अर्थात अधिवास का राज्य / संघ-राज्य क्षेत्र) में प्रवजन किया है और वह अपने मूल राज्य / संघराज्य क्षेत्र से आरक्षण का लाभ लेने का विकल्प नहीं चुनता है, तो **ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता उसके अधिवास राज्य / संघराज्य क्षेत्र में अनारक्षित मानी जाएगी, भले ही उसके पास जाति प्रमाणपत्र हो अथवा न हो।**

6.4 यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदनपत्र में यह दावा करता है कि उसने अपनू मूल राज्य / संघराज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य / संघराज्य क्षेत्र (अर्थात अधिवास का राज्य / संघ-राज्य क्षेत्र) में प्रवजन किया है और वह अपने मूल राज्य / संघराज्य क्षेत्र से आरक्षण का लाभ लेने का विकल्प चुनता है, तो **ऐसे अभ्यर्थी को अपने मूल राज्य / संघ-राज्य क्षेत्र से / आधारित जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और ऐसा न करने पर उसकी अभ्यर्थिता उसके प्रवजन राज्य / संघराज्य क्षेत्र** (अर्थात अधिवास का राज्य / संघ-राज्य क्षेत्र) **में अनारक्षित मानी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी** अधिवास राज्य / संघराज्य क्षेत्र से संबंधित **अपेक्षित अधिवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है** तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

6.5 अजा / अजजा / अपिव / आकव स्थिति या किसी अन्य लाभ, यथा- शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि के दावे के लिए निर्णायक तिथि, **ऑनलाइन आवेदनपत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 14.10.2024 होगी।**

6.6 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति / समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नही आता/आती है।

6.7 आकव के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था (आर.), दिनांकित 31.01.2019 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय के आधार पर जारी वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र है।

6.8 अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज के सत्यापन की पुष्टि नहीं कर ली जाती । अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा / अजजा / अपिव / आकव / भू.पू.सै का दावा करते हैं तो उन्हें आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से वारित कर दिया जाएगा।

6.9 किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों पर उनके संबंधित राज्य / संघ शासित क्षेत्र में भर्ती के लिए ही विचार किया जाएगा जिसके लिए उन्हें अपना अधिवासी दर्जा सिद्ध करने के लिए सम्बद्ध राज्य / संघ शासित क्षेत्र द्वारा यथा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध "अधिवास / स्थाई निवासी प्रमाणपत्र" दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसकी अभ्यर्थिता को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा । अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का अधिवास / स्थायी निवास प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी ।

6.10 चूंकि असम राज्य अधिवास प्रमाणपत्र / स्थायी निवास प्रमाणपत्र जारी नही कर रहा है, इसलिए असम राज्य के अभ्यर्थी को इसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है । तथापि, उनका चयन संबंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा आवास प्रास्थिति के सत्यापन के अध्यधीन होगा ।

6.11 पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी (डब्लू पी आर) , जो जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में बस गए हैं, लेकिन उन्हें संघ-राज्य क्षेत्रा का नागरिक होने का दर्जा नही दिया गया है, उनकी भर्ती जम्मू व कश्मीर और लद्दाख संघ-राज्य क्षेत्र के नामित प्राधिकारी से अधिवास प्रमाणपत्र प्राप्त करने की शर्त के बिना की जाएगी। तथापि ऐसे अभ्यर्थियों को **अनुबंध-XIII** के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी से संबंधित मूल निवास / पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

7. शैक्षिक योग्यताएं (दिनांक 01-01-2025 को)

7.1 निर्णायक तिथि अर्थात 01.01.2025 अथवा उससे पूर्व किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन अथवा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण ।

7.2 जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तारीख (अर्थात 01.01.2025) को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हासिल नहीं की है, वे पात्र नहीं हैं और वे आवेदन न करें।

7.3 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई तकनीकी शिक्षा

डिग्री/डिप्लोमा सहित समस्त डिप्लोमा/डिग्रियां/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वत: ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते कि उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो। तदनुसार, यदि ऐसी डिग्रियां उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्य नहीं है जब अभ्यर्थियों उन्हें हासिल किया है, उन्हें शैक्षिक योग्यता के प्रयोजनार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के मामले मे, जिनके पास मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाणपत्र हैं , ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उस प्रासंगिक अवधि के लिए दिया गया अनुमोदन भी प्रस्तुत करना होगा।

7.4 दस्तावेजी सत्यापन के लिए बुलाए गए सभी अभ्यर्थियों **को निर्णायक तिथि अथवा उससे पूर्व (01-01-2025)** न्यूनतम अर्हता अधिग्रहण करने के साक्ष्य के रूप में मैट्रिकुलेशन पूरा करने हेतु प्रासंगिक प्रमाणपत्र जैसेकि अंकपत्र, अनंतिम प्रमाणपत्र आदि मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे, इसमें विफल रहने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। वे अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम **निर्णायक तिथि अथवा उससे पूर्व** घोषित किया गया था तथा उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उनके नाम पर भी विचार किया जाएगा। **यह पुन: बताया जाता है कि जरूरी शैक्षणिक योग्यता के परिणाम बोर्ड / विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि तक घोषित हो जाने चाहिए । बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा महत्वपूर्ण अंतिम तिथि से पहले महज परिणाम की प्रक्रिया शुरू करना ही आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरा करना नहीं हैं।**

7.5 **एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों के लिए प्रोत्साहन** : एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों के लिए प्रोत्साहन निम्नलिखित पैमानों में दिया जाएगा :

प्रमाणपत्र श्रेणी	**प्रोत्साहन / बोनस अंक**
एनसीसी ‘सी’ प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5%
एनसीसी ‘बी’ प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3%
एनसीसी ‘ए’ प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2%

7.5.1 प्रोत्साहन / बोनस अंकों का लाभ केवल उसी अभ्यर्थी को दिया जाएगा, जिसने ऑनलाइन आवेदन में ‘एनसीसी प्रमाणपत्र’ हेतु बोनस अंक / प्रोत्साहन विकल्प दिया है। यदि किसी अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन पत्र में यह नहीं दर्शाया है कि वह एनसीसी प्रमाणपत्र धारक है, तो बाद में स्थिति में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी भले ही उस अभ्यर्थी के पास एनसीसी प्रमाणपत्र हो।

7.5.2 एनसीसी प्रमाणपत्र का लाभ दस्तावेज सत्यापन के समय उनके दावे के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ही प्रदान किया जाएगा।

7.5.3 तथापि, एनसीसी प्रमाणपत्र के सत्यापन तक, ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी द्वारा किए गए दावे के अनुसार अस्थायी रूप से बोनस अंक दिए जाएंगे।

7.5.4 इस प्रयोजनार्थ निर्णायक तिथि 01.01.2025 होगी अर्थात एनसीसी प्रमाणपत्र दिनांक 01.01.2025 को या उससे पहले जारी किया गया है।

7.5.5 यह लाभ **भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध नहीं है**।

7.6 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदनपत्र के **अनुबंध- XIV**. के अनुसार निर्धारित स्पोर्ट कॉलम में अपनी खेल-कूद संबंधित सूचना के बारे में बताएं।

8. आवेदन कैसे करे:

8.1 वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करना चाहते हैं और जिन्होंने आयोग की नई वेबसाइट (**https://ssc.gov.in**) पर अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नहीं किया है, उन्हें नई वेबसाइट पर अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करना होगा क्योंकि आयोग की पुरानी वेबसाइट (**https://ssc.nic.in**) पर किया गया एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नई साइट के लिए कार्य नहीं करेगा। एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के बाद अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदनपत्र भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक बार नई वेबसाइट पर एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के बाद यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वैध बना रहेगा। ओटीआर के लिए विस्तृत निर्देश इस विज्ञप्ति के **अनुबंध-I एवं I** क में दिए गए हैं

8.2 आवेदनपत्र केवल ऑनलाइन मोड में कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात https://ssc.gov.in पर जमा करने होंगे। विस्तृत निर्देशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के **अनुलग्नक- I** और **अनुलग्नक- II** का अवलोकन करें। एकबारगी पंजीकरण का और ऑनलाइन आवेदनपत्र का नमूना फॉर्म **अनुलग्नक-Iक** और **अनुलग्नक- IIक** के रूप में संलग्न हैं।

8.3 आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को पहले से खींचे गए फोटो की आवश्यकता नहीं है। आवेदन मॉड्यूल को आवेदनपत्र भरने वाले अभ्यर्थी का फोटो लेने के लिए डिजाइन किया गया। इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी को मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कंप्यूटर/मोबाईल फोन के कैमरे के सामने खड़े होना / बैठना होगा तथा फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा।

(i) अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें।
(ii) फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है।

(iii) अपने आप को वेबकैम के सामने रखें और सीधे सामने देखें।

(iv) यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे में चित्रित लाल आयताकार स्थान के अंदर पूरी तरह समाहित हो और न तो यह बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो। यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस आयताकार स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए।

(v) अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा और इयरफोन व हैडफोन नहीं पहनने चाहिए ।

8.4 अभ्यर्थी परीक्षा में वैसा ही दिखना चाहिए जैसा कि आवेदनपत्र में फोटो दी गई है। अभ्यर्थियों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ली गई फोटो स्पष्ट है, टोपी और चश्मा पहन कर नहीं ली गई है और सामने का पूरा चेहरा दृश्यमान है। जिन आवेदनों में फोटो निर्देशों के अनुसार नहीं है, उन्हें निरस्त किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले से मौजूद फोटो से फोटो नहीं लेनी चाहिए। ऐसे सभी आवेदन जिनमें उनकी पहले से ली गई फोटो से फोटो खींचकर लगाई गई हैं, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

8.5 आवेदन पत्र जमा करने से पहले, अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि फोटो दिए गए निर्देशों के अनुसार अपलोड किया गया है। यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित प्रारूप में फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया जाता है, तो उसका आवेदन / अभ्यर्थिता अस्वीकृत या रद्द कर दी जाएगी।

8.6 अभ्यर्थी को जेपीईजी / जेपीजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति भी रखनी चाहिए। हस्ताक्षर की छवि की आयाम 300 डीपीआई के रेजोल्युशन पर लगभग 6.0 सेमी. (चौड़ाई) और 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। हस्ताक्षर क्षैतिज रूप से संरेखित होना चाहिए। अनुपयुक्त फोटो वाले या धुंधले / लघु आकार वाले फोटो या हस्ताक्षर वाले आवेदन जो उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा न करते हों, ऐसे आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए **अनुबंध-।।।** पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

8.7 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय **14.10.2024 (23:00 बजे)** है।

8.8 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा/असमर्थता हो सकती है और क.च.आ. की वेबसाइट पर लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।

8.9 आयोग उक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदनपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

8.10 ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को **'प्रीव्यू / प्रिंट विकल्प'** के माध्यम से यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदनपत्र के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। उन्हें यह जांच भी कर लेनी चाहिए कि फोटो और हस्ताक्षर उपर्युक्त सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम रूप से जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति अपने पास रखें।

9. आवेदन शुल्कः

9.1 देय शुल्क: 100/- रुपये (मात्र एक सौ रुपए)।

9.2 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) और आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों (भू.पू.सै.) से संबंधित अभ्यर्थियों को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।

9.3 शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से या वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

9.4 अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान **15-10-2024 (23:00 बजे)** तक केवल ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से शुल्क भुगतान का कोई विकल्प नहीं होगा।

9.5 निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त ऑनलाइन आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरह खारिज किए गए आवेदन के संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

9.6 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं मिली है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त हो गया है। यदि शुल्क क.च.आ. को प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदन पत्र की स्थिति **'अपूर्ण'** दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदनपत्र के प्रिंट आउट के शीर्ष पर छपी होगी। इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी के लॉगिन स्क्रीन में दिए गए **"भुगतान की स्थिति"** लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे आवेदन जो शुल्क न मिलने के कारण अपूर्ण रह जाते हैं, **उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त** कर दिया जाएगा और परीक्षा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करने और शुल्क भुगतान करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10. आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [05-11-2024 से 07-11-2024 (23:00 बजे)]:

10.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन परिमापों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 3 दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

10.2 किसी भी अभ्यर्थी को **'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो'** के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए **दो बार** अनुमति दी जाएगी, अर्थात यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूर्ण ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।

10.4 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए 200/- रूपए की एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- रूपए की एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग / श्रेणी कुछ भी हो ।

10.5 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

10.6 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

10.7 लागू सुधार राशि की प्राप्ति के अधीन, नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।

10.8 यदि लागू सुधार राशि कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त नहीं होती है, तो आवेदन पत्र की स्थिति अपूर्ण **'Incomplete'** दर्शाई जाएगी तथा यह सूचना आवेदन पत्र के शीर्ष पर प्रदर्शित होगी। ऐसे आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और पहले जमा किए गए आवेदन ही वैध रहेंगे।

10.9 **संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उसने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।**

11. परीक्षा केंद्र:

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उस केंद्र (ओं) को इंगित करें, जिसमें वह परीक्षा देना चाहता है। परीक्षा केन्द्र और क्षेत्रीय कार्यालय जिनके अधिकार क्षेत्र में ये परीक्षा केन्द्र स्थित हैं, के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	**परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड**	**कचआ क्षेत्र एवं उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में राज्य/ संघ-राज्य क्षेत्र**	**क्षेत्रीय कार्यालयों / वेबसाइट का पता**
1	भागलपुर (3201), दरभंगा (3202), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), पूर्णिया (3209), आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010) मेरठ (3011), प्रयागराज (3003) और वाराणसी (3013)।	**मध्य क्षेत्र (म.क्षे)** बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिवल लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज - 211 001 (http://www.ssc-cr.org)
2	पोर्ट ब्लेयर (4802), रांची (4205), बालासोर (4601), बेहरामपुर (ओडिशा) (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), धेनकेनाल (4611), राउरकेला (4610), संबलपुर (4609), गैंगटोक (4001), बर्दवान (4404), कोलकाता (4410) और सिलीगुड़ी (4415)।	**पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.)** अंडमान & निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीशा, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे.) कर्मचारी चयन आयोग, 8वां तल, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग,234/4,आचार्य जगदीश चंद्रबोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700020 (www.sscer.org)
3	बेंगलूरू (9001), बेलगावी (9002), कलबुरगी (गुलबर्गा) (9005), मैंगलुरू (9008), मैसुरु (9009), शिवमोगा (9010), हूब्बली (9011), उडुपी (9012), एर्नाकुलम (9213), कोलम (9210), कोट्याम (9205), कोझिकोड (9206), तिरूवनंतपुरम (9211) और थ्रिसूर (9212)।	**केरल कर्नाटक क्षेत्र (केकेआर)** लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	क्षेत्रीय निदेशक (केरल कर्नाटक क्षेत्र) कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग,केन्द्रीय सदन , कोरामंगला , बेंगलुरू , कर्नाटक-560034 (www.ssckkr.kar.nic.in
4	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014), सागर (6015), उज्जैन (6016), बिलासपुर (6202) और रायपुर (6204)	**मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्र.क्षे.)** मध्य प्रदेश और चंडीगढ़	क्षेत्रीय निदेशक (म.प्र.क्षे.), 5वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कांम्प्लेक्स, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492004 (www.sscmpr.org)
5	इटानगर (5001), डिब्रूगढ़ (5102), गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107), सिलचर (5111), तेजपुर (5112),	**पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)/** अरुणाचल प्रदेश,	क्षेत्रीय निदेशक (एनईआर), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट

	इम्फाल (5501), शिलांग (5401), आइजाल (5701), दिमापुर (5301), कोहिमा (5302), अगरतला (5601), चुरचन्द्रपुर (5502) और उखरुल(5503)।	असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा	गेट, वशिष्ठ रोड, पीओ असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम – 781006 (www.sscner.org.in)
6	दिल्ली (2201), अजमेर (2401), बीकानेर (2404), जयपुर (2405),जोधपुर (2406), उदयपुर (2409), देहरादून (2002), हल्द्वानी(2003) और रुड़की (2006)।	**उत्तरी क्षेत्र (एन आर)/** दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (एनआर), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 (www.sscnr.net.in)
7	चंडीगढ़ / मोहाली (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), सांबा (1010), श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) (1007), लेह (1005), अमृतसर (1404), भटिंडा (1401), और पटियाला (1403)।	**पश्चिमोत्तर उप-क्षेत्र (पश्चि.क्षे.)**/ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर लद्दाख तथा पंजाब	क्षेत्रीय निदेशक (पश्चि.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं. 3, भूतल, केन्द्रीय सदन, सैक्टर-9, चंडीगढ़-160009 (www.sscnwr.org)
8	चिराला (8011), गंटूर (8001), काकीनाडा (8009), करनुल (8003), नेल्लोर (8010), राजामुन्द्री (8004), तिरुपति (8006), विजियानगरम (8012), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), पुड्डुचेरी (8401), चेन्नै (8201), कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), सेलम (8205), तिरूचिरापल्ली (8206), तिरूनवेली (8207), वेल्लोर (8208), हैदराबाद (8601), करीमनगर (8604) और वारंगल (8603)।	**दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)**/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, द्वितीय तल, ईवीके संपत बिल्डिंग , डीपीआई परिसर, कॉलेज रोड, चेन्नै, तमिलनाडु-600006 (www.sscsr.gov.in
9	पणजी (7801), अहमदाबाद (7001), गांधीनगर (7012), मेहसाना (7013), राजकोट (7006), सूरत (7007), वडोदरा (7002), अमरावती (7201), औरंगाबाद (7202), जलगांव (7214), कोल्हापुर (7203), मुम्बई (7204), नागपुर (7205), नांदेड (7206), नासिक (7207) और पुणे (7208)	**पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षे.)** / दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल,दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि करवे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र -400020 (www.sscwr.net

11.1 अभ्यर्थी प्राथमिकता के क्रम में, उसी क्षेत्र के भीतर तीन केंद्रों के लिए विकल्प दे सकता है। **इसके पश्चात किसी भी परिस्थिति में केंद्र के परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं**

किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थी, केन्द्र का चयन ध्यान से करें और अपने ऑनलाइन आवेदन में उसे ठीक से इंगित करें।

11.2 आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा चुने गए केंद्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग को किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को अन्य केंद्र से परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार है। आयोग को परीक्षा के अतिरिक्त केंद्रों को शामिल करने और किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए अन्य केंद्र पर स्थान्तरित करने का अधिकार भी है।

11.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र, पीईटी / पीएसटी या विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) / पुनर्विचार मेडिकल परीक्षा (आरएमई) और दस्तावेज़ सत्यापन उस राज्य / संघराज्य-क्षेत्रों की रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु कोई मानदंड नहीं होगा जिसमें ऐसे केंद्र स्थित हैं। इस प्रयोजनार्थ अधिवास प्रमाण-पत्र / स्थायी निवास प्रमाण-पत्र ही एकमात्र मानदंड होगा।

12. परीक्षा की रूप रेखा

12.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा : कंप्यूटर आधारित परीक्षा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा जिसमें निम्नलिखित संरचना में 80 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंको का होगा।

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि/ अनुमत समय
भाग- क	सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति	20	40	60 मिनट
भाग- ख	सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी	20	40	
भाग- ग	प्रारंभिक गणित	20	40	
भाग- घ	अंग्रेजी/हिंदी	20	40	

12.1.1 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु-विकल्पीय प्रश्न होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात (i) असमिया, (ii) बांग्ला, (iii) गुजराती, (iv) कन्नड़, (v) कोंकणी, (vi) मलयालम, (vii) मणिपुरी, (viii) मराठी, (ix) ओड़िया, (x) पंजाबी, (xi) तमिल, (xii) तेलगु, और (xiii) उर्दू में आयोजित की जाएगी।

12.1.2 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। अतएव, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों का उत्तर देते समय इस तथ्य को ध्यान में रखें।

12.1.3 अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि की जानकारी सिर्फ आयोग के वेबसाईट के माध्यम से दी जाएगी।

12.1.4 अंकों के पुनर्मूल्यांकन / पुन: जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया किया जाएगा।

12.1.5 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक आयोग द्वारा जारी नोटिस सं-1-1/2018-पी&पी-I दिनांक-07.2.2019 में प्रकाशित सिद्धान्त के प्रयोग से सामान्यीकृत किए जाएंगे और ऐसे सामान्यीकृत अंकों सहित एनसीसी प्रमाण-पत्र धारकों के लिए बोनस अंकों का प्रयोग अंतिम योग्यता और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

12.1.6 परीक्षा के बाद अनंतिम उत्तर-कुंजी आयोग के वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर-कुंजी को अच्छी तरह से परख सकते है और अगर उस पर कोई अभ्यावेदन देना चाहें तो आयोग द्वारा दी गई समय-सीमा के अंदर, 100 रु. प्रति प्रश्न का भुगतान करके, सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से दे सकते है। उत्तर-कुंजी अपलोड करने के समय, आयोग द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा के अंदर प्राप्त, उत्तर-कुंजी से संबन्धित किसी भी अभ्यावेदन की उत्तर-कुंजी को अंतिम रूप देने से पहले संवीक्षा की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा।

12.1.7 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रश्न मैट्रिकुलेशन स्तर के होंगे।

12.1.8 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में '**वाक-थ्रु वीडियो/ मॉक टेस्ट**' आयोग की वेबसाइट के **'अभ्यर्थी कॉर्नर'** सेक्शन में प्रदान किया गया है।

12.1.9 अभ्यर्थियों को कैलकुलेटर और अन्य ईलेक्ट्रोनिक उपकरण उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। अतः उन्हे ऐसे उपकरणों को परीक्षा हॉल/ लैब के अंदर नहीं लाना चाहिए।

12.1.10 परीक्षा का **निदर्शनात्मक पाठ्यक्रम** निम्नानुसार होगा :

12.1.10.1 सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति: सैद्धान्तिक रूप से गैर-शाब्दिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से विशलेषणात्मक अभिरूचि देखने और प्रतिरूपों में भिन्नता करने की योग्यता आंकी जाएगी। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग इत्यादि पर प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है।

12.1.10.2 सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी : इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के परिवेश की सामान्य जानकारी की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन-प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैधानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पडोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य–व्यवस्था, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये इस प्रकारके प्रश्न होंगे कि उनके लिए किसी भी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

12.1.10.3 प्रारंभिक गणित : इस प्रश्नपत्र में संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याओं, पूर्णांकों का अभिकलन, दशमलव और भिन्न तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता,अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ-हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य, आदि से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे।

12.1.10.4 अंग्रेजी/हिंदी : अभ्यर्थियों के मूल अंग्रेजी/हिंदी ज्ञान, उसकी मूलभूत समझ आदि की जांच की जाएगी।

12.2 शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी)/ शारीरिक क्षमता परीक्षा (पीईटी) :

कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर, अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पीईटी/पीएसटी के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। के.स.पु. बलों द्वारा अंतिम रूप से निर्णीत विभिन्न केंद्रों पर शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) और शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) आयोजित की जाएगी। विस्तृत चिकित्सा जांच के दौरान अभ्यर्थियों की पात्रता/दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जाएगी। इसलिए, कंप्यूटर आधारित परीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा में बैठने से पहले अपनी पात्रता की जांच करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी । पीईटी / पीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद पीईटी और पीएसटी से गुजरने के लिए कहा जाएगा। पीएसटी में ऊंचाई, वजन और छाती (जैसा लागू हो) का माप शामिल होगा।

12.3 भूतपूर्व सैनिकों को पीएसटी/पीईटी से छूट दी गई है। तथापि, भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें पीएसटी/पीईटी के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें रिकॉर्ड के लिए ऊंचाई, छाती और वजन की माप की रिकॉर्डिंग के लिए पीएसटी/पीईटी में उपस्थित होना होगा। इन भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए पीईटी आयोजित नहीं की जाएगी। तथापि, उन्हें मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

12.4 शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी): अभ्यर्थियों को निम्नलिखित समयावधि के भीतर दौड़ पूरी करनी है:

	पुरुष	**महिला**	**टिप्पणी**
दौड़	24 मिनट में 5 किमी.	8½ मिनट में 1.6 किमी.	लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए
	7 मिनट में 1.6 किमी.	5 मिनट में 800 मीटर	लद्दाख क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए

पीएसटी (शारीरिक मानक परीक्षा)/पीईटी (शारीरिक क्षमता परीक्षा) के लिए महिला अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग पर, उनकी गर्भावस्था की स्थिति के बारे में जानकारी देने वाली एक स्व-घोषणा प्रस्तुत की जाएगी। यदि वह घोषणा करती है कि वह गर्भवती नहीं है तो उसे पीएसटी/पीईटी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। झूठी घोषणा के मामले में, पीएसटी/पीईटी देने से संबंधित सारा जोखिम उसका स्वयं का होगा। यदि महिला अभ्यर्थी पीएसटी/पीईटी से पहले घोषणा करती है कि वह गर्भवती है, तो एक गर्भावस्था पुष्टिकरण परीक्षण किया जाएगा और यदि वह गर्भवती पाई

जाती है, तो गर्भावस्था की अवधि के बावजूद, उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसकी नियुक्ति प्रसव तक रोक कर रखी जाएगी। जिस रिक्ति के लिए किसी महिला अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा उस रिक्ति को उसके लिए आरक्षित रखा जाएगा। प्रसव की तिथि के 6 हफ्तों के बाद, पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के लिए पुनः जांच की जाएगी। अगर वह फिट पाई जाती है, तो उसके लिए आरक्षित पद पर उसकी नियुक्ति की जाएगी और समय समय पर संशोधित सरकार के निर्देशानुसार उसे वरिष्ठता का लाभ भी दिया जाएगा । यदि महिला अभ्यर्थी गर्भावस्था में नहीं पाई जाती है, तो उसे पीएसटी/पीईटी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी ।

12.5. <u>शारीरिक मापदंड परीक्षा (पीएसटी)</u> : उपर्युक्त पदों के लिए शारीरिक मापदंड निम्नानुसार है:-

12.5.1 **<u>ऊंचाई:</u>**

12.5.1.1 पुरुष: 170 से.मी.

12.5.1.2 महिला: 157 से.मी.

12.5.1.3 अभ्यर्थियों की कुछ श्रेणियों को उल्लिखित ऊंचाई में छूट प्रदान की जाती है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनुमत्य ऊंचाई में छूट निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**कुछ श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई में छूट**	**पुरुष (से.मी.)**	**महिला (से.मी.)**
(क)	अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी	162.5	150.0
(ख)	पूर्वोत्तर राज्यों के अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी	157.0	147.5
(ग)	वामपंथी उग्रवादी प्रभावित जिलों के अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी	160.0	147.5
(घ)	गढ़वाली, कुमाऊंनी, डोगरा, मराठों की श्रेणियों के अभ्यर्थियों और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए	165.0	155.0
(ङ)	उत्तर-पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थियों के लिए	162.5	152.5
(च)	गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) जिसमें दार्जिलिंग जिले के तीन उप-मंडल, नामत: दार्जिलिंग, कालीम्पोंग और कुर्सियांग शामिल हैं और जिनमें इन जिलों के निम्नलिखित "मौज़स" उप-मंडल भी शामिल हैं: (1)लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3)रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघटा (6) छोटा अदालपुर (7) पहारु (8) सुकना वन (9) सुकना भाग-1 (10) पंतपति वन -1 (11) महानदी वन (12) चंपसारी वन (13) सालबारी छत भाग-II (14) सितोंग वन (15) सिवोक हिल वन (16) सिवोक वन	157.0	152.5

	(17) छोटा चेंगा (18) निपानिया, के अभ्यर्थियों के लिए		

12.5.2 **सीना :** पुरूष अभ्यर्थियों के सीने के माप के निम्नलिखित मानक होने चाहिए :

12.5.2.1 बिना फुलाए : 80 सेमी

12.5.2.2 न्यूनतम विस्तार : 5 सेमी

12.5.2.3 अभ्यिर्थियों की कुछेक श्रेणियों को सीने के माप में छूट दी गई है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए सीने के माप में छूट के मानक निम्नलिखित हैं :

क्रम सं.	**कुछ श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए सीने में छूट**	**बिना फुलाए (सेमी में)**	**न्यूनतम विस्तार (सेमी में)**
(क)	अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों के लिए	76	5
(ख)	गढ़वाली, कुमाऊंनी, डोगरा, मराठा श्रेणियों के अभ्यर्थियों और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए	78	5

क्रम सं.	**कुछ श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए सीने में छूट**	**बिना फुलाए (सेमी में)**	**न्यूनतम विस्तार (सेमी में)**
(ग)	उत्तर-पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के और गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के अभ्यर्थियों के लिए।	77	5

12.5.2.4 महिला अभ्यर्थियों के सीने का माप नहीं लिया जाएगा। तथापि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीना अच्छी तरह से विकसित है।

12.5.3 **<u>वजन:</u>** ऊंचाई और आयु के अनुपात में चिकित्सा मानकों के अनुसार।

12.5.4 ऊंचाई और छाती की माप में छूट के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच शा.क्ष.प. (दौड़) में अर्हता प्राप्त करने के बाद और शा.मा.प. से पहले सीएपीएफ शा.मा.प. / शा.क्ष.प. बोर्डों द्वारा की जाएगी। अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए ऊपर उल्लिखित ऊंचाई और छाती में छूट (जैसा भी मामला हो) **<u>अनुलग्नक-IX</u>** में निर्धारित प्रोफार्मा में शा.मा.प. / शा.क्ष.प. के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकार्य होगी। सक्षम अधिकारियों से. अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी वैध अ.ज.जा. प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

12.5.5 जिन अभ्यर्थियों को शारीरिक मानकों अर्थात ऊंचाई, और सीने के अनुसार योग्य घोषित नहीं किया जाता है, यदि वे चाहें तो पीठासीन अधिकारी (पीओ) के माध्यम से केंद्र में नामित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उसी दिन अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाएगा और उसके बाद इस संबंध में कोई अपील या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पीईटी (दौड़) में कोई अपील नहीं की जा सकती है।

12.5.6 शा.मा.प / शा.द.प. और वि.चि.प. / पु.चि.प. किए जाने की जिम्मेदारी केवल के.स.पु.ब की होगी। आयोग शा.मा.प / शा.द.प. और वि.चि.प. / पु.चि.प. बोर्ड के फैसले के खिलाफ किसी भी अभ्यावेदन / अपील / आरटीआई आवेदन / सीपीग्राम्स को स्वीकार नहीं करेगा।

12.6 **चिकित्सा परीक्षा/ दस्तावेज़ सत्यापन :** शा.मा.प / शा.द.प. में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पूल में से अभ्यर्थियों को विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई)/ दस्तावेज़ सत्यापन के लिए चयनित किया जाएगा।

12.6.1 विस्तृत चिकित्सा परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों की पुष्टि की जाएगी:

12.6.1.1 आयु, नाम और शैक्षिक योग्यता की पुष्टि के लिए मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र।

12.6.1.2 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र / स्थायी निवास प्रमाणपत्र।

12.6.1.3 यदि लागू हो तो वैध एनसीसी प्रमाणपत्र।

12.6.1.4 सेवारत रक्षा कार्मिकों से से विज्ञप्ति के **अनुबंध- IV** में यथा निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र।

12.6.1.5 भूतपूर्व सैनिकों से **अनुबंध- V** में यथा निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र।

12.6.1.6 आरक्षण/आयु में छूट मांगने वाले अभ्यर्थियों को इस विज्ञप्ति के **अनुबंध-VI, अनुबंध-VII** और **अनुबंध-VIII** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाणपत्र।

12.6.1.7 ऊंचाई/सीने की माप से संबंधित छूट का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियें से इस विज्ञप्ति के **अनुबंध- IX** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र।

12.6.1.8 इस विज्ञप्ति के पैरा-5.1 के तहत श्रेणी 04/05/06 में वर्णित दंगा पीड़ितों के आश्रित आवेदकों के संबंध में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाणपत्र।

12.6.1.9 पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों से इस विज्ञप्ति के **अनुबंध-XIII** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में मूल निवास स्थान/पहचान प्रमाणपत्र।

12.6.2 शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की शारीरिक एवं चिकित्सा योग्यता का आकलन करने के लिए के.स.पु.ब. द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा कें.स.पु.ब. और असम राइफल्स में राजपत्रित अधिकारियों व अराजपत्रित अधिकारियों के लिए भर्ती चिकित्सा परीक्षा हेतु समान दिशा-निर्देशों और गृह मंत्रालय के अशा. सं. ए-VI-1 / 2014 / भर्ती (एसएसबी), दिनांकित 20.05.2015 तथा गृह मंत्रालय के का.ज्ञा.सं. ई.32012 / एडीजी (मेड) / डीएमईएंडआरएमई / डीए-1 / 2020 (पार्ट फाइल) / 1166,

दिनांक 31.05.2021 के माध्यम से और सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित शर्तों के अनुसार चिकित्सा परीक्षा की जाएगी। उपर्युक्त आदेश निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:-
https://www.mha.gov.in/sites/default/files/policedevison_17062021_0.pdf

13. परीक्षा में प्रवेश

13.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधरित परीक्षा में बैठने हेतु रोल नंबर दिया जाएगा और प्रवेश-पत्र दिया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तदनंतर, अर्हक अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तरों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

13.2 आयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा और शा.क्ष.प. / शा.मा.प. के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त पद के लिए पात्र हैं। जांच किए जाने के समय यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे को पुष्ट नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13.3 परीक्षा के सभी स्तरों के लिए प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय, कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और सीआरपीएफ की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

13.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइटों पर ऑनलाइन जारी किए जाएंगे और पीईटी / पीएसटी और चिकित्सा परीक्षा (डीएमई / आरएमई) के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र सीआरपीएफ द्वारा उनकी वेबसाइट यानी http://crpf.gov.in पर जारी किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग मुख्यालय (अर्थात https://ssc.gov.in), सीआरपीएफ और आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों, जिसके अधिकार क्षेत्र में अभ्यर्थी द्वारा चुने गए परीक्षा केंद्र स्थित हैं (**विस्तृत जानकारी के लिए परीक्षा विज्ञप्ति का पैरा 11.1 देखें**) की वेबसाइटों को नियमित रूप से देखते रहें।

13.5 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक वेबसाइट पर अपना विवरण प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल आवेदन जमा करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

13.6 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण आईडी, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

13.7 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षा से लगभग 3-7 दिन पहले संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसी प्रकार पीईटी / पीएसटी और मेडिकल परीक्षा (डीएमई / आरएमई)/ दस्तावेज़ सत्यापन के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित परीक्षा से लगभग 2 सप्ताह पहले सीआरपीएफ की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।

13.8 सीआरपीएफ की वेबसाइट से पीएसटी/पीईटी और डीएमई/आरएमई/ डीवी के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में असमर्थता के मामले में, अभ्यर्थियों को पीईटी / पीएसटी या डीएमई / आरएमई/ डीवी से कम से कम एक सप्ताह पहले सीआरपीएफ से संपर्क करना चाहिए। पीईटी / पीएसटी और चिकित्सा परीक्षा/ दस्तावेज़ सत्यापन के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में, अभ्यर्थी सीआरपीएफ भर्ती हेल्पलाइन नंबर 011-26160255 पर संपर्क कर सकते हैं।

13.9 प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम हाल ही की दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें वही **जन्म तिथि** लिखी हो जो प्रवेश प्रमाण-पत्र में छपी है, लाना अनिवार्य है, जैसे:

13.9.1 आधार कार्ड / ई-आधार का प्रिंटआउट,
13.9.2 मतदाता पहचान-पत्र,
13.9.3 ड्राइविंग लाइसेंस,
13.9.4 पैन कार्ड,
13.9.5 पासपोर्ट,
13.9.6 विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र,
13.9.7 नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र (सरकारी / सार्वजनिक उपक्रम)
13.9.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतभूर्व सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका
13.9.9 केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य वैध फोटो पहचान पत्र

13.10 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो उम्मीदवार को अपनी **जन्म-तिथि** के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे- सीबीएसई / आईसीएसई / राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना चाहिए **।** यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र / प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13.11 अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित अन्य दस्तावेज भी लाने होंगे।

13.12 धुंधली तस्वीर और / अथवा हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

14. चयन का तरीका:

14.1 इस भर्ती प्रक्रिया में कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.ई.), शारीरिक क्षमता परीक्षा (शा.क्ष.प.), शरीरिक मापदंड परीक्षा (शा.मा.प.), चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) और दस्तावेज सत्यापन शामिल होंगे।

14.2 नीचे दिए गए कट-ऑफ अंक (एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को बोनस अंक जोड़े बिना) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी पीईटी / पीएसटी में शॉर्ट-लिस्टिंग के लिए योग्य माना जाएगा:

14.2.1 अना. : 30%

14.2.2 अ.पि.व. / आ.क.व : 25%

14.2.3 अन्य सभी श्रेणियां : 20 %

14.3 एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को अनंतिम रूप से निम्नलिखित प्रोत्साहन अंक दिए जाएंगे जो अभ्यर्थियों के सामान्यीकृत अंकों में जोड़े जाएंगे:

14.3.1 एनसीसी 'सी' सर्टिफिकेट : परीक्षा के अधिकतम अंको का 5 %

14.3.2 एनसीसी 'बी' सर्टिफिकेट : परीक्षा के अधिकतम अंको का 3 %

14.3.3 एनसीसी 'ए' प्रमाणपत्र : परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2 %

14.4 शा.क्ष.प. / शा.मा.प. में उपस्थित होने के लिए पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (यदि लागू हो तो एनसीसी बोनस अंकों सहित) में उनकी योग्यता के आधार पर राज्य-वार / क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में योग्यता के आधार पर शा.क्ष.प. / शा.मा.प. के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या का लगभग 8 (आठ) गुना होगी। एस.एस.एफ./एनसीबी की रिक्तियों के लिए अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है।

14.5 शा.क्ष.प. / शा.मा.प. में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) और दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के लिए शॉर्ट-लिस्टिंग के लिए योग्य माना जाएगा।

14.6 शा.क्ष.प. / शा.मा.प. में अर्हता प्राप्त करने वाले पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (यदि लागू हो तो एनसीसी बोनस अंकों सहित) में उनकी योग्यता के आधार पर डीएमई / डीवी में उपस्थित होने हेतु शार्टलिस्ट किया जाएगा । कंप्यूटर आधारित परीक्षा में योग्यता के आधार पर डीएमई / डीवी के लिए चुने गए अभ्यर्थियोंकी संख्या रिक्तियों की संख्या का लगभग 2 (दो) गुना होगी। एस.एस.एफ. / एन.सी.बी. की रिक्तियों के लिए अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है।

14.7 दस्तावेज़ सत्यापन (अर्थात अभ्यर्थियों से आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र / दस्तावेजों का संग्रहण और मूल दस्तावेजों के साथ उनका सत्यापन) सीएपीएफ द्वारा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के साथ किया जाएगा।

14.8 यदि अभ्यर्थी ने एनसीसी प्रमाणपत्र धारक होने का दावा किया है और वह डीवी के समय वैध एनसीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो अभ्यर्थी को अनंतिम रूप से दिए गए प्रोत्साहन अंक वापस ले लिए जाएंगे।

14.9 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में निम्नलिखित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों / संगठनों की वरीयता को **अग्रता के क्रम में** देना होगा। सभी आठ (08) बल वरीयताओं को भरना अनिवार्य होगा:

14.9.1 सीमा सुरक्षा बल (ए)

14.9.2 केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (बी)

14.9.3 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी)

14.9.4 सशस्त्र सीमा बल (डी)

14.9.5 भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ई)

14.9.6 असम राइफल्स (एफ)

14.9.7 नरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (जी)

14.9.8 सचिवालय सुरक्षा बल (एच)

14.10 शा.क्ष.प. / शा.मा.प. और मेडिकल परीक्षा/ डीवी में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को अंतिम योग्यता-सूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

14.11 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (एनसीसी बोनस अंकों सहित) में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर प्रत्येक श्रेणी, नामत: अना., अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., आ.क.व. और भू.सै. में अभ्यर्थियों के अंतिम चयन के साथ-साथ बल आवंटन, पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में और जहां भी लागू हो सीमावर्ती क्षेत्रों और उग्रवाद / नक्सल प्रभावित जिलों के लिए अलग-अलग किया जाएगा । एस.एस.एफ. और एनसीबी के लिए अभ्यर्थियों का चयन अखिल भारतीय आधार पर किया जाएगा।

14.12 अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/संगठनों का आवंटन **'कंप्यूटर आधारित परीक्षा (एनसीसी बोनस अंक सहित) में योग्यता'-सह-'सीएपीएफ/संगठन की वरीयता'** के आधार पर किया जाएगा, जो अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिया गया है। **अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिकता के क्रम में बलों/संगठनों की प्राथमिकताएं देते समय बहुत सावधान रहना चाहिए और उचित परिश्रम करना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, किसी भी परिस्थिति में वरीयता में बदलाव के किसी अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।**

14.13 अभ्यर्थियों के नाम पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा तथा उसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/ दस्तावेज सत्यापन के समय संगत अधिवास प्रमाणपत्र के उत्तरवर्ती प्रस्तुतीकरण के आधार पर सीमावर्ती जिलों, आतंकवाद/नक्सलवाद प्रभावित जिलों की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा । **अभ्यर्थी ध्यान दें कि आवेदन पत्र के विशिष्ट कॉलम में अभ्यर्थी द्वारा भरा गया अधिवास जिला/राज्य ही उसका अधिवास राज्य/जिला माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए स्थायी/पत्राचार पते के कॉलम/बॉक्स से अधिवास जिला/राज्य पर विचार/निर्धारित नहीं किया जाएगा।**

14.14 **अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अधिवास राज्य और जिले के बारे में सूचना उपलब्ध कराते समय अत्यधिक सावधान रहें तथा यह सूचना सतर्कता पूर्वक भरें। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के प्रस्तुतीकरण के पश्चात आयोग द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में, अधिवास राज्य और जिले में परिवर्तन के किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि**

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित जिला और / अथवा राज्य और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा / दस्तावेज सत्यापन के समय उसके द्वारा प्रस्तुत अधिवास प्रमाणपत्र में कोई भिन्नता है तो उसकी अभ्यर्थिता को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसे विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14.15 अजा, अजजा, अपिव, आकव और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति के अनुसार अनारक्षित रिक्तियों में सहयोजित किया जाएगा। आरक्ष्ि्ात रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, अपिव, आकव और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

14.16 अजा, अजजा, अपिव, आकव तथा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए निर्धारित मानकों की अपेक्षा मानकों अर्थात आयु सीमा, ऊँचाई तथा सीने की माप, अनुभव अथवा योग्यता, अवसरों की अनुमत्य संख्या में छूट तथा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को दी गई छूट की अपेक्षा अधिक छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, तो उनके योग्यता क्रम पर ध्यान दिए बिना, ऐसे अजा, अजजा, अपिव तथा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों की आरक्षित रिक्तियों में गणना की जाएगी । जहां तक भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों का संबंध है, भूतपूर्व सैनिक की आयु में से उसके द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा की अवधि की कटौती आरक्षित तथा अनारक्षित पदों के लिए अनुज्ञेय है तथा आयु के संबंध में प्रदान की गई इस छूट को मानकों में छूट के रूप में परिभाषित नहीं किया जाएगा ।

14.17 नक्सल/उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को पहले नक्सल/उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की रिक्तियों के लिए और फिर सामान्य क्षेत्रों की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा। इसी प्रकार, सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों को पहले सीमा क्षेत्र की रिक्तियों के लिए और फिर सामान्य क्षेत्र की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा। दोनों क्षेत्रों अर्थात नक्सल/उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के साथ-साथ सीमा क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों को पहले नक्सल/उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा, उसके बाद क्रमशः सीमा क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा।

14.18 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं । परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतया अनन्तिम होगा, बशर्ते वे पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करते हों । यदि किसी भी समय कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शा.क्ष.प. / शा.मा.प. और चिकित्सा परीक्षा और साथ ही, नियुक्ति प्रस्ताव, बल / संगठन में शामिल होने से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग / के.स.पु.बलों द्वारा उनकी अभ्यर्थिता / पद के लिए चयन को निरस्त कर दिया जाएगा ।

14.19 परीक्षा में सफलता से तब तक नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होता जब तक कि सरकार इस तरह की जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाती है कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी तरह से उपयुक्त है।

14.20 यदि परीक्षा के किसी भी पेपर / चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण / अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम की घोषणा के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण के आयोजन से दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में अभ्यावेदन करना होगा।

14.21 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और उसे अंतिम परिणाम घोषित होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर आयोग या सीएपीएफ / संगठन से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तुरंत संबंधित सीएपीएफ / संगठन के साथ संपर्क करना चाहिए।

15. बराबरी(टाई) के मामलों का निपटारा:

कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों (एनसीसी बोनस अंकों सहित) में बराबरी होने की स्थिति में, ऐसे मामलों का निपटारा एक के बाद एक निम्नलिखित मानदंडों को लागू करके किया जाएगा, जब तक कि बराबरी का निपटारा नहीं हो जाता :

15.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-क में प्राप्तांक।
15.2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-ख में प्राप्तांक।
15.3 जन्म तिथि, अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाती है।
15.4 वर्णानुक्रम में नाम

16. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

16.1 संदिग्ध और बेमेल अभ्यर्थी: जिन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि, जिले, अधिवास, माता-पिता का नाम ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन से मेल नहीं खाते हैं; उन्हें **बेमेल अभ्यर्थी** के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का एलटीआई, हस्ताक्षर, लिखावट और फोटो और इनमें से एक सीबीई और ऑनलाइन आवेदन के दौरान एकत्र किए गए बायोमेट्रिक डेटा से मेल नहीं खाता है या किसी भी स्तर पर मेल नहीं खाता है, उन्हें **संदिग्ध अभ्यर्थी** के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

16.2 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी के लिए भी दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्रम संख्या	**कदाचार का प्रकार**	**वारित अवधि**
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- ओएमआरशीट, रफशीट, प्रवेशपत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटें लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचित किए परीक्षा स्थल को छोड़ना।	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के	3 वर्ष

	किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना / अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
7	'स्विचऑन' या 'स्विचऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन कर के एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना / उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों / हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
14	आग्नेय शस्त्रों / हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना-धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	7 वर्ष
17	छद्मवेषन / किसी अन्य व्यक्ति से छद्मरूप में कार्य साधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नेपशाट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्क टॉप सॉफ्टवेयर / एप / लैन / वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष

16.3 आयोग यदि उचित समझे तो मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फोरेंसिक विशेषज्ञों आदि से मामले की जांच कराने के लिए भी उचित कार्रवाई कर सकता है।

17. **आयोग का निर्णय अंतिम** : पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(ओं)के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन तथा योग्यता सूची तैयार करने और बल आबंटन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

18. **न्यायालय का क्षेत्राधिकार:** इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिस स्थान के न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ है।

19. दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा.सं. 39020/1/016/स्था (ख) के तहत डीओपीटी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बेरोजगार अभ्यर्थियों के रोजगार से संबंधित अवसरों में पहुंच बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि आयोग अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद अपने पोर्टल पर भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और रैंकिंग उपलब्ध कराएगा। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद, अंतिम परीक्षा में अभ्यर्थियों के रोल नंबर, रैंकिंग के अलावा अभ्यर्थियों का नाम, माता-पिता / पति का नाम, शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग (पुरुष / महिला), अर्हक परीक्षा में कुल अंक, ई-मेल पते सहित पूरा पता वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। तथापि, अभ्यर्थियों के पास आवेदन भरने के समय अपनी जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रकट न करने के लिए प्रकटीकरण संबंधी योजना से बाहर निकलने का विकल्प होगा।

20. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:

1.	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें। परीक्षा विज्ञप्ति हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
2.	अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेसाइट की विसंबंधन / लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
3.	वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करना चाहते हैं और नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नहीं किया है, उन्हें पहले की तरह ही एकबारगी पंजीकरण करना होगा क्योंकि पुरानी वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर पहले किया गया एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा। ओटीआर के बाद अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदनपत्र भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नई वेबसाइट पर ओटीआर तैयार होने के बाद यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वैध बना रहेगा। ओटीआर के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश इस विज्ञप्ति के **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।
4.	अभ्यर्थियों से दस्तावेजों का संग्रहण और उनका सत्यापन के.स.पु.बल द्वारा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के समय किया जाएगा। अतः अभ्यर्थिता को केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले सलाह दी जाती है कि वे शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मानकों इत्यादि की आवश्यकताओं को पूरा करें और स्वयं संतुष्ट हो कि वे पदों के लिए पात्र हैं। जब विस्तृत चिकित्सा परीक्षा

	के दौरान दस्तावेजों की संवीक्षा की जाएगी, तब आवेदन में किए गए किसी भी दावे को प्रमाणित नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
5.	इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग /आर्थिक कमजोर वर्ग/ भूपूसै के रूप में आरक्षण का लाभ उठाने या इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार कोई अन्य छूट के इच्छुक अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस तरह के आरक्षण / छूट के हकदार हैं। प्रमाणपत्र की प्रतियां मांगे जाने पर उनके पास निर्धारित प्रारूप में संबंधित प्रमाणपत्र होना चाहिए।
6.	अजा, अजजा अथवा अपिव श्रेणी की जाति से संबंधित अभ्यर्थी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासन करते हैं, जहां अभ्यर्थियों की जाति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे अभ्यर्थियों को एक विकल्प सूचित करना होगा कि क्या वे मूल राज्य के आरक्षण का लाभ उठाना चाहते है या नहीं या प्रवासी राज्य से अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में बैठना चाहते है। इस तरह के विकल्प को अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में देना होगा। आवेदन पत्र जमा करने के बाद, इस तरह के विकल्प बदलने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ लेने का विकल्प चुनता है, तो उसे आवेदन पत्र में वर्तमान निवास के जिला और राज्य के साथ साथ मूल जिला और राज्य की जानकारी देनी होगी। ऐसे मामलों में उनकी अभ्यर्थिता पर मूल राज्य से ही विचार किया जाएगा।
7.	दिव्यांगजन (दिव्यां) इस परीक्षा के लिए आवेदन के पात्र नहीं हैं।
8.	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग / के.स.पु.ब. अभ्यर्थियों से ई-मेल / एस.एम.एस. के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।
9.	देय शुल्कः 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) तथा आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिक (भू.सै.) श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।
10.	अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
11.	ऑनलाइन आवेदन पत्र में, अभ्यर्थियों को एप्लिकेशन मॉड्यूल का उपयोग करके अपनी फोटो खींचनी होगी और पहले से मौजूद स्वयं की फोटो नहीं रखनी होगी। फोटो बिना टोपी और चश्मे के होनी चाहिए। चेहरे का सामने का दृश्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित प्रारूप में फोटो नहीं खींची गई है, तो उसका आवेदन/अभ्यर्थिता खारिज कर दी जाएगी।
12.	आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास अपनी पहले से मौजूद फोटो होना आवश्यक नहीं है। एप्लिकेशन माड्यूल को आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ली गई फोटो स्पष्ट हो, बिना टोपी और चश्मा पहने बिना हो और सामने का चेहरा पूरा दिखाई दे। यदि खींची गई फोटो स्वीकार्य नमूने के अनुरूप नहीं है, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे फोटो पुन: खींच लें। ऐसे सभी आवेदन जहां उसकी पहले से मौजूद फोटो खींची गई है, खारिज कर दिए जाएंगे। परीक्षा में अभ्यर्थी वैसा ही दिखना चाहिए जैसा कि आवेदनपत्र में उसका फोटो लगा है। अपनी फोटो खींचने के लिए, अभ्यर्थी को एप्लिकेशन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा होना/बैठना होगा और निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा:

	(i) अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें। (ii) फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है। (iii) अपने आप को सीधे वेबकैम के सामने रखें और सीधे सामने देखें। (iv) सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे द्वारा चित्रित लाल आयताकार क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से है और यह न तो बहुत करीब है और न ही बहुत दूर है। इसे क्षेत्र को पूरी तरह से कवर करना चाहिए और चेहरे का कोई भी हिस्सा आयत के बाहर नहीं होना चाहिए। (v) अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए। **अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (10 से 20केबी) में स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। धुंधले/ लघु हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।**
13.	**अनुपयुक्त फोटो या धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन, जो निर्देशों के अनुसार नहीं हैं, सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे।**
14.	**अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिवास राज्य और जिला के बारे में जानकारी प्रदान करते समय बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आवेदन पत्र जमा करने के बाद आयोग द्वारा किसी भी परिस्थिति में राज्य और जिला के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अधिवास प्रमाणपत्र और ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा उल्लिखित जिला और/अथवा राज्य में कोई भिन्नता पाई जाती है तो, उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा और उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
15.	**अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिकता के क्रम में के. स.पु.बलों/ संगठनों की वरीयता देते समय बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात वरीयता में किसी भी परिवर्तन के अनुरोध पर आयोग द्वारा किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।**
16.	इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति दी गई है। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें। अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के मामले में आयोग द्वारा सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है तथा परीक्षा में एक से अधिक बार बैठता (किसी भी स्तर पर) है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
17.	अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने या 'ऑनलाइन आवेदन पत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि समाप्त होने के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में पोस्ट, फैक्स, ईमेल, हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
18.	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाता है, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा और

	आवेदन की स्थिति 'आवेदन प्राप्त हुआ (सामग्री सत्यापित नहीं)' के रूप में इंगित की जाएगी।। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट लेना चाहिए। सामान्यतः आयोग / के.स.पु.ब. को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आऊट भेजने की जरूरत नहीं है।
19.	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में हाल ही के दो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो और फोटो लगा एक पहचान साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड / ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पैन कार्ड, विश्वविद्यालय / कॉलेज / सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई भूपूसै की सेवा निवृत्ति पंजिका या केंद्र / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पहचानपत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। **यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल प्रमाणपत्र लाना होगा। प्रवेशपत्र में लिखित जन्मतिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचानपत्र / प्रमाणपत्र में लिखित जन्मतिथि में मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
20.	किसी प्रतिष्ठित नाम / फोटो के दुरूपयोग से नकली / जाली आवेदन / पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी / साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर / आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
21.	अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि वे लड़ाकू बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया में उन्हें पूर्ण शारीरिक और मानसिक तैयारी के साथ भाग लेना चाहिए और वे, भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होनी वाली किसी भी घटना / दुर्घटना के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होंगे। भर्ती एजेंसी / केन्द्र ऐसी किसी अनपेक्षित घटना / दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। अभ्यर्थी इस भर्ती में अपने जोखिम पर ही भाग लेंगे।
22.	शारीरिक दक्षता परीक्षा / शारीरिक मानक परीक्षा तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा / पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा उनकी वेबसाइट https:// **www.crpf.gov.in** पर जारी / अपलोड किया जाएगा, जबकि कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेशपत्र कर्मचारी चयन आयोग की संबंधित वेबसाईट पर जारी / अपलोड किया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर पर प्रवेशपत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। अतः प्रवेशपत्र को सही समय पर डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को नियमित आधार पर के.रि.पु.बल की https://**www.crpf.gov.in** कचआ-मुख्यालय तथा क.च.आ. के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाईट को देखने की सलाह दी जाती है।
23.	अभ्यर्थी शारीरिक क्षमता परीक्षा / शारीरिक मानक परीक्षा तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा / पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा एवं दस्तावेज़ सत्यापन के प्रवेशपत्र से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए विशेष चयन बोर्ड (प्रकोष्ठ) भर्ती शाखा, ईस्ट ब्लॉक-7, लेवल -4, सेक्टर-01, आर के पुरम, नई दिल्ली- 110066 अथवा उनकी हेल्पलाईन संख्या 011-26160255 से संपर्क कर सकते हैं।
24.	प्रत्येक शारीरिक मानक परीक्षा केंद्र में शारीरिक मानक परीक्षा के लिए अपीलीय प्राधिकारी उपलब्ध होगा। यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक मानक परीक्षा बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट या सहमत नहीं होता है तो वह उसी दिन संबंधित भर्ती केंद्र में केवल पीठासीन अधिकारी के माध्यम से अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में आगे किसी अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। शारीरिक क्षमता परीक्षा (दौड़) के लिए कोई अपील स्वीकार्य नहीं होगी।
25.	यदि कोई भी अभ्यर्थी जानबूझ कर सिर की चोट (सूजन / फूलना) का बहाना करता है तथा ऊंचाई में विशेषाधिकार पाने के लिए सिर पर इमली रखता है तो भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए इस तरह के

<table>
<tr><td></td><td>अभ्यर्थियों को वारित कर दिया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>26.</td><td>शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को यदि ऊर्जावान दवा के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए वारित कर दिया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>27.</td><td>ऑनलाइन आवेदनपत्र के अंत में घोषणा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। घोषणा पर सहमत होने / हस्ताक्षर करने से पहले, अभ्यर्थियों को भरे गए आवेदन विवरण और घोषणा की सामग्री के माध्यम से जाना चाहिए और स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ही इस पर सहमत होना / हस्ताक्षर करना चाहिए कि प्रस्तुत जानकारी सही है। किसी भी तथ्य को छिपाने / गलत बयानी करने / गलत घोषणा करने से अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।</td></tr>
<tr><td>28.</td><td>अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे परीक्षा की तारीख, रिक्तियों की स्थिति आदि से संबंधित सूचना के बारे में अद्यतन जानकारी हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट अर्थात https://ssc.gov.in और साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट और सीआरपीएफ की वेबसाईट http;//www.crpf.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।</td></tr>
<tr><td>29.</td><td>अभ्यर्थी आवेदन भरने/जमा करने तथा कंप्यूटर आधारित परीक्षा से संबंधित यदि कोई स्पष्टीकरण चाहते है तो निम्नलिखित क्षेत्रीय हेल्पलाईनों से संपर्क कर सकते है:
<table>
<tr><td>(i)</td><td>हेल्प डेस्क (क.च.आ.-मु)</td><td>18003093063</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>क.च.आ. (म.क्षे.), प्रयागराज</td><td>0532 2460511, 0532 6541021</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>क.च.आ.(पू.क्षे), कोलकाता</td><td>09477461228, 033 22902230</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>क.च.आ. (के.क.क्षे.), बेंगलुरु</td><td>080 25502520, 09483862020</td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>क.च.आ. (म.प्र.क्षे), रायपुर</td><td>0771 2282507, 0771 2282678</td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>क.च.आ. (पूर्वो क्षे.) गुवाहाटी</td><td>09085073593, 09085015252</td></tr>
<tr><td>(vii)</td><td>क.च.आ. (उ.क्षे.), नई दिल्ली</td><td>011 24363343</td></tr>
<tr><td>(viii)</td><td>क.च.आ. (पश्चि.क्षे.), चंडीगढ़</td><td>0172 2749378, 0172 2744366</td></tr>
<tr><td>(ix)</td><td>क.च.आ. (द.क्षे.), चेन्नई</td><td>09445195946, 044 28251139</td></tr>
<tr><td>(x)</td><td>क.च.आ. (प.क्षे.), मुंबई</td><td>09869730700, 07738422705</td></tr>
<tr><td>(xi)</td><td>के.रि.पु.बल हेल्पलाइन नंबर</td><td>011 26160255</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>30.</td><td>यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों / उप क्षेत्रीय कार्यालयों में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए।</td></tr>
<tr><td>31.</td><td>यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।</td></tr>
</table>

अवर सचिव

कर्मचारी चयन आयोग, मुख्यालय

05.09.2024

अनुबंध-I

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

I. एक बारगी पंजीकरण

II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
   - क) मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)
   - ख) ई-मेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
   - ग) आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरणों में मूल दस्तावेज़ को दिखाना होगा)
     - i. वोटर आईडी कार्ड
     - ii. पैन
     - iii. पासपोर्ट
     - iv. ड्राइविंग लाइसेंस
     - v. स्कूल/कॉलेज आई डी
     - vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
   - घ) मैट्रिक (10 वीं) परीक्षा उत्तीर्ण करने का बोर्ड, अनुक्रमांक और वर्ष के बारे में जानकारी।
   - ङ) यदि आप बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं, तो दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संख्या।
3. एक एकबारगी पंजीकरण के लिए, आयोग की नई वेबसाईट अर्थात http://ssc.gov.in पर 'Login or Register' सेक्शन में 'Register Now' लिंक पर क्लिक करें।
4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
   - क. व्यक्तिगत विवरण
   - ख. पासवर्ड बनाना
   - ग. अतिरिक्त विवरण
   - घ. घोषणा।
5. **'एकबारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें:**

क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

ख. क्रम संख्या-1: आधार संख्या के बारे मे जानकारी प्रदान करें।

ग. क्रम संख्या-2: यदि आप आधार संख्या नहीं देना चाहते हैं तो अपने पहचानपत्र संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें ।

घ. क्रम संख्या-3: अपना नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख क्रम संख्या 4 क और 4 ख में करें।

ङ. क्रम संख्या-5: लिंग (पुरूष / महिला / ट्रांसजेंडर)

च. क्रम संख्या-6: अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसीकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।

छ. क्रम संख्या-7: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

ज. क्रम संख्या-8: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

झ. क्रम संख्या-9 से क्रम सं.-11 : मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के विवरण में निम्नलिखित शामिल है:

i. शिक्षा बोर्ड का नाम
ii. रोल नंबर
iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष

ञ. क्रम संख्या- 12: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)

ट. क्रम संख्या- 13: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो दिल्ली पुलिस/ कर्मचारी चयन आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।

ठ. क्रम संख्या- 14: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि दिल्ली पुलिस/ कर्मचारी चयन आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी

जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

ड. जब क्रम संख्या 1 से 14 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका डाटा सहेजा जाएगा और आपकी पंजीकरण संख्या स्क्रीन पर दिखाई देगी । आपकी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

ढ. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

ण. अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी को यूजर नाम और आपके मोबाइल तथा ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।

त. पासवर्ड में सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।

थ. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, अब तक भरी गई "मूल जानकारी" प्रदर्शित होगी । यदि अपेक्षित हो तो आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं अथवा अपना एकबारगी पंजीकरण पूरा करने के लिए "Next" बटन पर क्लिक कर सकते हैं ।

द. क्रम संख्या-1: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।

ध. क्रम संख्या-2: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें

न. क्रम संख्या-3 : यदि आपकी राष्ट्रीयता भारतीय से अन्यथा है तो संपर्क विवरण प्रदान करें ।

प. क्रम संख्या-4 : दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।

फ. क्रम संख्या-5: यदि कोई बेंचमार्क दिव्यांगता हो तो उसकी सूचना दें । यदि आप किसी विशिष्ट बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें ।

ब. क्रम संख्या-6 से 7: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें। **यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी अभ्यर्थी का स्थायी और वर्तमान पता उसके अधिवास की स्थिति का निर्धारण नहीं करता ।**

भ. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट प्रिंट-आउट ले तथा ‘Final Submit’ करने से पहले, पंजीकरण प्रपत्र में प्रदान की गई जानकारी का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करें ।

म. ‘घोषणा’ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि आप घोषणा से सहमत हैं तो 'I Agree' पर क्लिक करें ।

य. 'अंतिम सबमिट' पर क्लिक करने पर विभिन्न ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको दोनों ओटीपी में से एक ओटीपी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में दर्ज करना होगा।

र. मूलभूत सूचनाओं को प्रदान करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 'मूलभूत विवरण' को बदला जा सकता है।

6. यद्यपि आप अपने एकबारगी पंजीकरण डाटा में संशोधन/परिवर्तन कर सकते हैं तथापि आपको एकबारगी पंजीकरण विवरण भरते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए । गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

7. आपको पुन: सावधान किया जाता है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

एक बारगी पंजीकरण का प्रवाह :

पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए 'Login or Register' पर क्लिक करें। Login or Register' पर क्लिक करने के पश्चात, एक छोटा विंडो दिखाई देगा। इस विंडो में, नीचे 'Register Now' पर क्लिक करें। उसके पश्चात आप 'One-Time Registration' पृष्ठ पर जा सकेंगे।

1.1 एक बारगी पंजीकरण पृष्ठ:

होम पृष्ठ पर आपको 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए उपलब्ध चरणों का अनुसरण करना होगा। आगे बढ़ने के लिए 'Continue' पर क्लिक करें और व्यक्तिगत विवरण स्क्रीन पर पहुंचे।

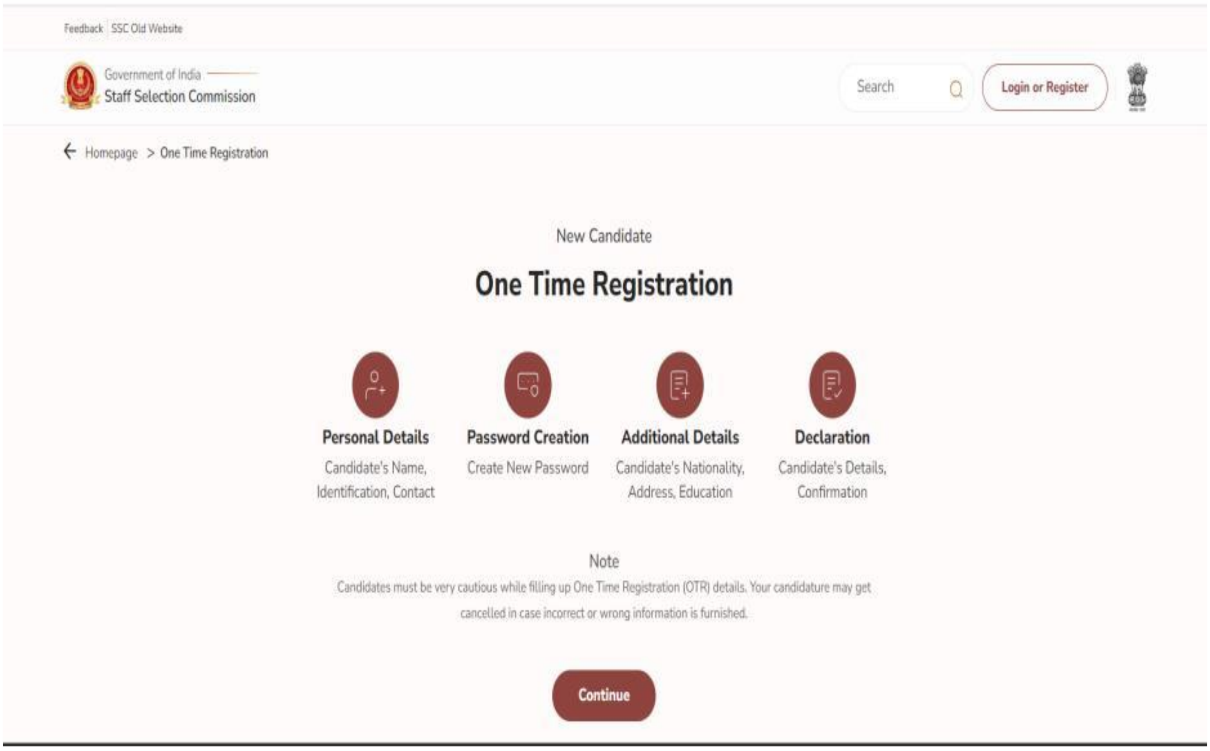

1.2 व्यक्तिगत विवरण भरें:

सटीकता सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण विवरणों जैसे आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्मतिथि की प्रविष्टि दो बार करें। किसी भी प्रकार की विसंगति का संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

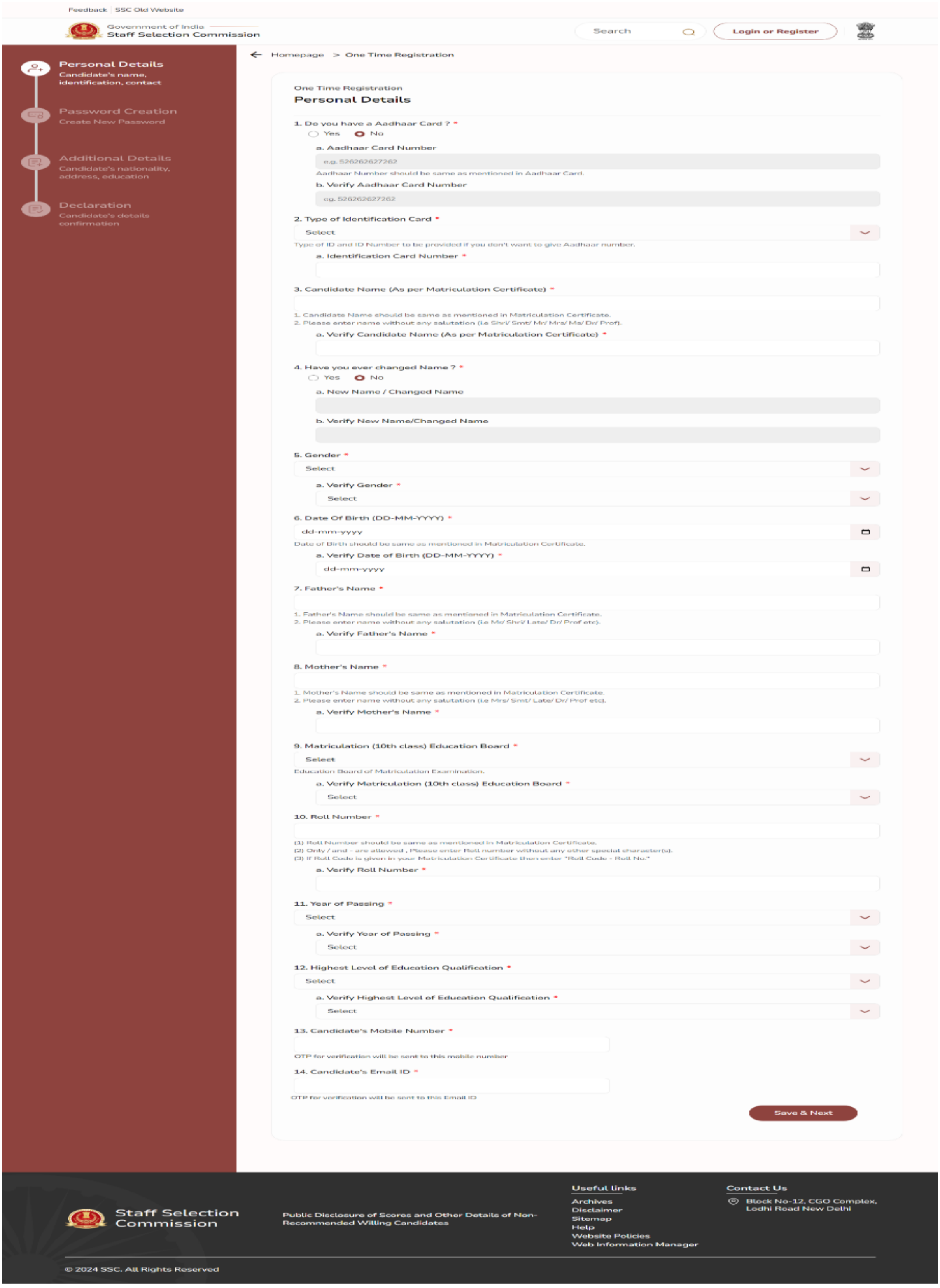

1.3 पंजीकरण विवरण पृष्ठ :

मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ओटीपी का सफलतापूर्वक सत्यापन करने के पश्चात, 'Save & Next' बटन पर क्लिक करने पर प्रदान किए गए 'Personal Details' (क्र. सं. 1 से 14) संग्रहीत हो जाएंगे। उपयोगकर्ता को पुनः पंजीकरण विवरण पृष्ठ पर भेजा जाएगा जहां पंजीकरण संख्या प्रदर्शित हो रही है। पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर अवश्य पूरी की जानी चाहिए अन्यथा सहेजे गए विवरण हटा दिए जाएंगे।

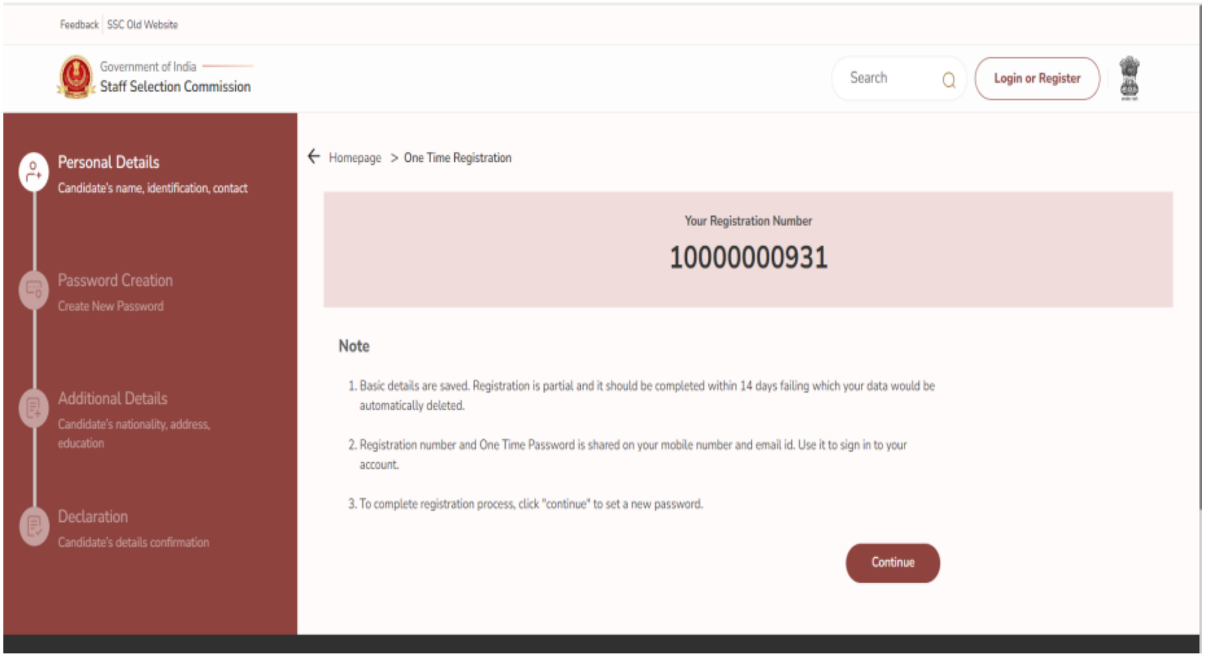

1.4 वन टाइम पासवर्ड के साथ लॉगिन स्क्रीन:

बची हुई पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, उपयोगकर्ता 'Continue' पर क्लिक कर सकते हैं जो उन्हें अगले स्क्रीन पर प्रदर्शित लॉगिन पेज पर ले जाएगा। यदि उपयोगकर्ता अगले दिन पंजीकरण पूरा करने हेतु चयन करते हैं तो वे वेबसाईट शीर्ष पर 'Login or Registration' बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। पंजीकरण संख्या का उपयोग यूजर नाम के रूप में किया जाएगा और प्रारम्भिक लॉगिन हेतु उपयोगकर्ता के मोबाइल और ईमेल पर भेजे गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग किया जाएगा। प्रथम लॉगिन पर, उपयोगकर्ता को अपना पासवर्ड बदलने का संकेत मिलेगा।

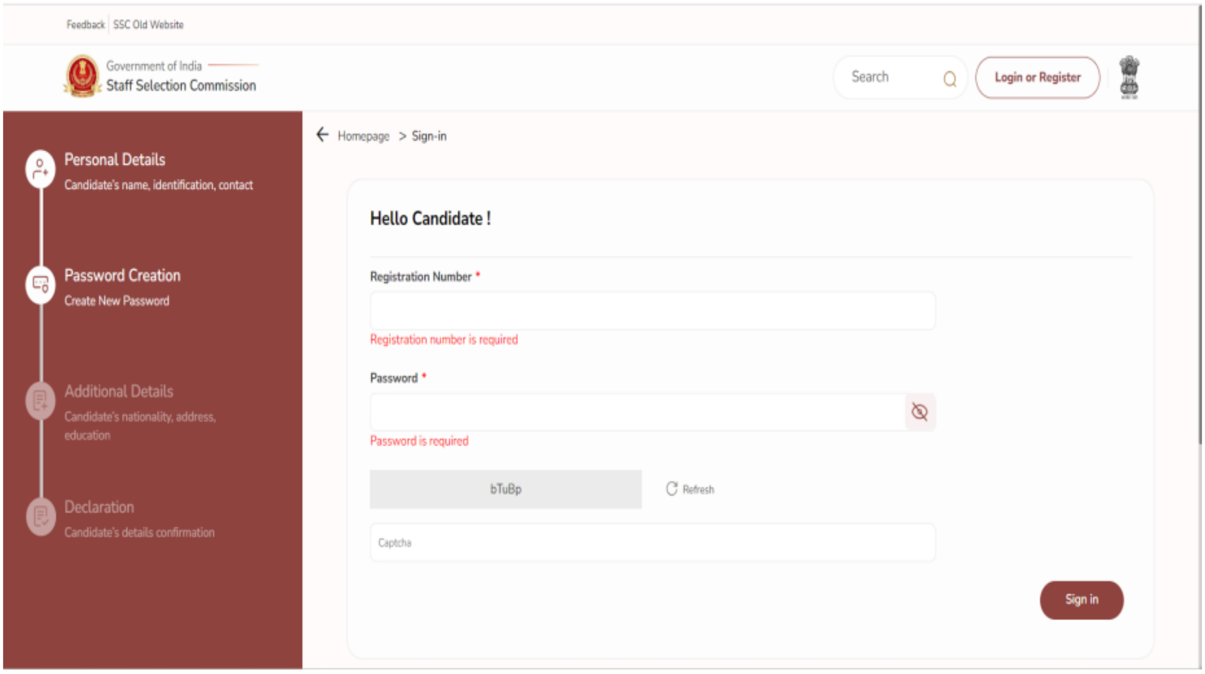

1.5 पासवर्ड सृजन (Creation) पृष्ठ :

प्रारम्भिक लॉगिन पर ,उपयोगकर्ता को पासवर्ड सृजन पृष्ठ पर जैसाकि चित्र में दिखाया गया हैले जाया , जाएगा। पासवर्ड को सफलतापूर्वक बदलने के पश्चातउन्हें लॉगिन पृष्ठ पर पुनः ले जाया जाएगा जहां उन्हें , अपनी पंजीकरण संख्या और नए बदले हुए पासवर्ड का प्रयोग कर दोबारा लॉगिन करना होगा। पंजीकरण में पहले से ही भरी होगी। संख्या प्रारंभपासवर्ड बदलने के साथ आगे बढ़ने के लिएउपयोगकर्ता को , उसके मोबाइल और ईमेल पर भेजे गए पुराने पासवर्ड को इनपुट करना होगा। उपयोगकर्ता स्क्रीन पर प्रदर्शित निर्दिष्ट सत्यापन का पालन करते हुए अपना नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं।

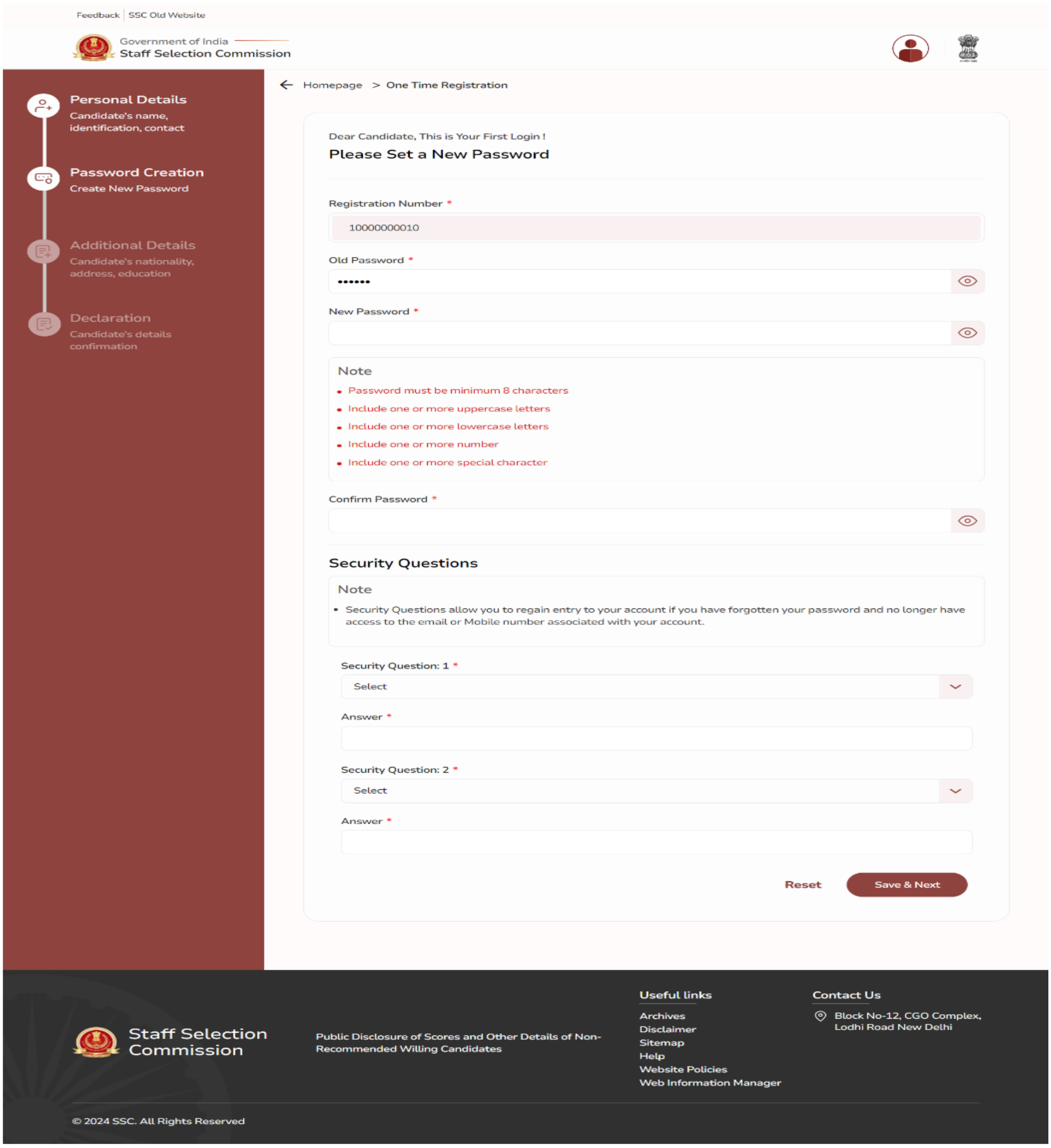

1.6 नए सेट किए गए पासवर्ड के साथ लॉगिन:

पासवर्ड बदलने के बाद, उपयोगकर्ता को नीचे प्रदर्शित स्क्रीन दिखाई देगी। लॉगिन करने के पश्चात, उपयोगकर्ता को अतिरिक्त विवरण पृष्ठ पर ले जाया जाएगा।

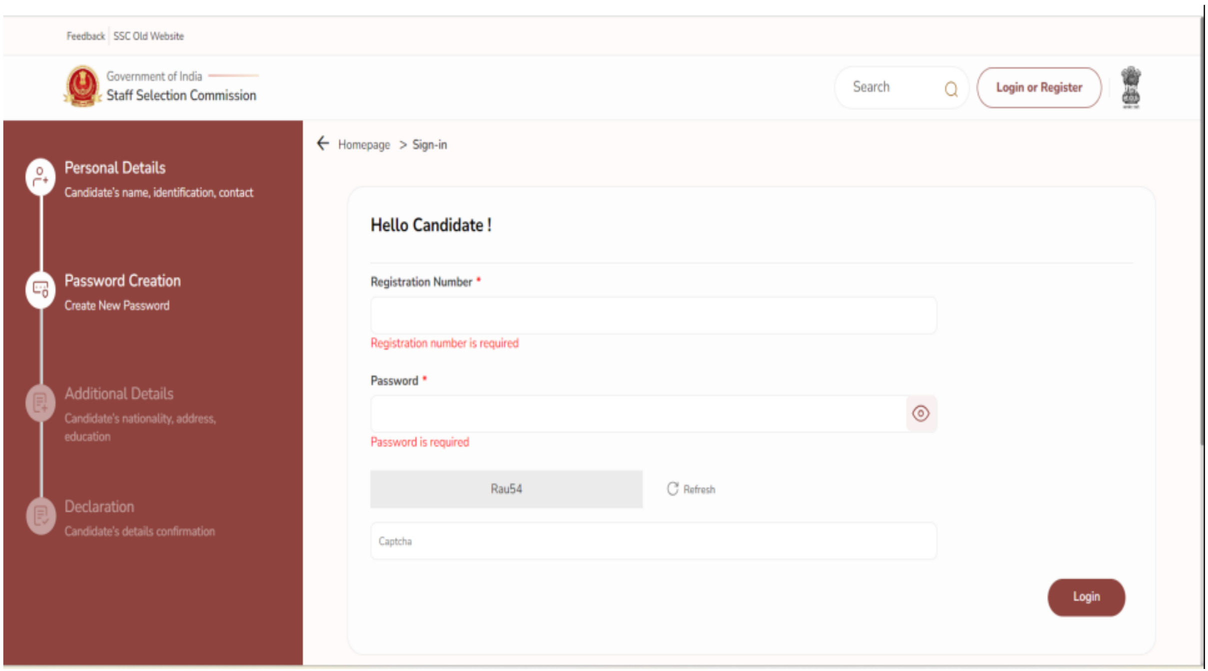

1.7 अतिरिक्त विवरण पृष्ठ:

अतिरिक्त विवरण को पूरा करने के लिए, उपयोगकर्ता को अपनी श्रेणी (क्र.सं.-1), राष्ट्रीयता (क्र.सं.-2) और, यदि 'भारतीय नागरिकता' से भिन्न नागरिकता है, तो 'Contact Details for Other Nationals' को सक्रिय (enable) करना होगा। यदि उपयोगकर्ता की नागरिकता 'भारतीय नागरिक' है तो उन्हें अपने स्थायी और वर्तमान पते का विवरण भरना होगा अथवा यदि नागरिकता भिन्न है तो इन्हें निष्क्रिय (disable) करना होगा। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता को अपने दृश्यमान पहचान चिह्न (क्र.सं.-4) के बारे में जानकारी तथा बेंचमार्क दिव्यांगता (क्र.सं.-5) दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या के साथ, यदि लागू हो, जानकारी प्रदान करनी चाहिए। यदि नागरिकता " है, तो उपयोगकर्ता को अपने स्थायी और वर्तमान पते का विवरण भरना चाहिए, डाटा को सेव कर पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग की तरफ बढ़ें।

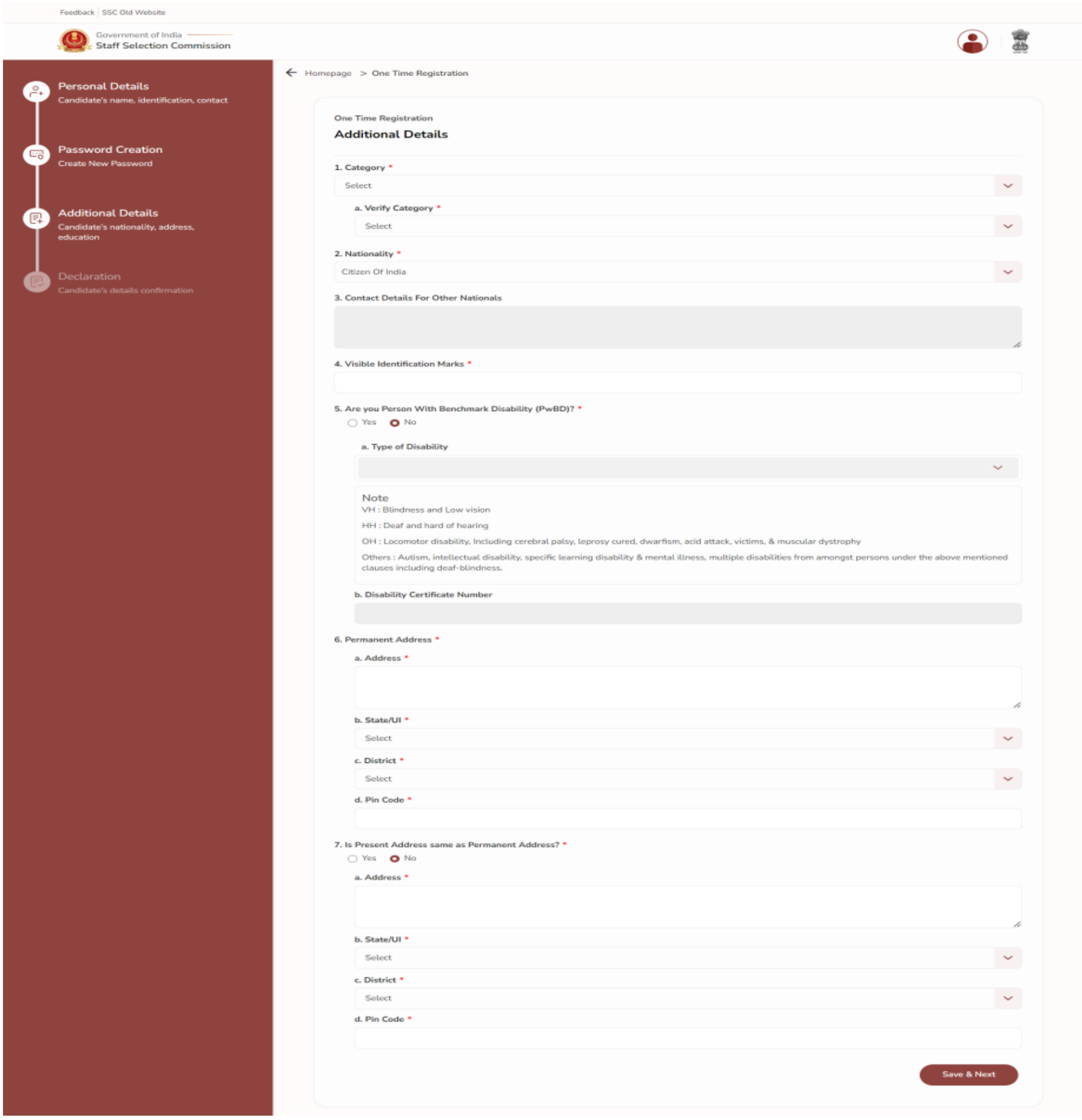

1.8 घोषणा

घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद, उपयोगकर्ता को 'I Agree' "Preview OTR" चेक करना चाहिए उसके बाद 'Declare' पर क्लिक कर घोषणा सबमिट करें। सफलतापूर्वक जमा होने पर, उपयोगकर्ता को पुनः डैश्बोर्ड पर ले जाया जाएगा।

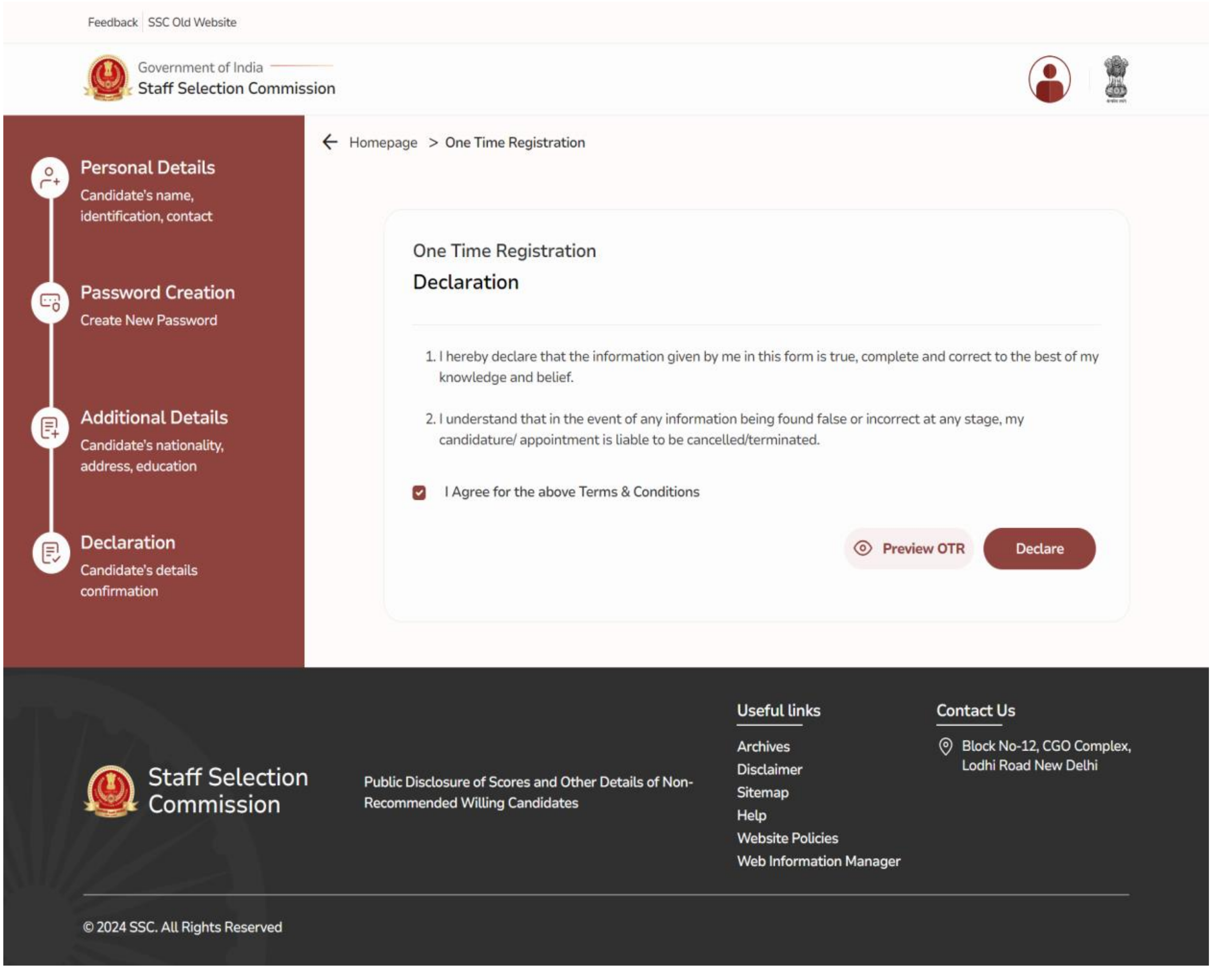

भाग-II (ऑनलाईन आवेदन फॉर्म)

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने हेतु निर्देश:-

1. ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व निम्नलिखित डाटा नोट / तैयार करके रखें:

आवेदन करने हेतु, अभ्यर्थी को उसके पहले से खींचे गए फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है। आवेदन मॉड्यूल को ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने वाले अभ्यर्थी का फ़ोटो लेने के लिए डिजाइन किया गया है । इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी को मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना/ बैठना होगा और फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा ।

(i) अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें ।

(ii) फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है ।

(iii) अपने आप को वेबकैम के सामने रखें और सीधे सामने देखें ।

(iv) यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे में चित्रित लाल आयताकार स्थान के अंदर पूरी तरह समाहित हो और न तो यह बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो । यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस आयताकार स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए ।

(v) अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

जो अभ्यर्थी वेबकैम के माध्यम से अपना लाइव फोटोग्राफ खींचने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे मोबाईल डिवाइस के माध्यम से अपनी लाइव फोटो खींचने हेतु प्ले स्टोर से ऐप्लिकैशन को डाउनलोड करने के लिए Upload Documents के क्रम सं.1 में दिए गए क्यूआर (QR) कोड का उपयोग करें। फोटो बिना टोपी पहने, बिना चश्मा लगाए होनी चाहिए और चेहरे के सामने का भाग दिखाई देना चाहिए। यदि आवेदन वाली फोटो निर्देशानुरूप नहीं होती है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

क) जेपीईजी फार्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर की छवि का आयाम 300 डीपीआई(DPI) के रिज़ॉल्यूशन (resolution) पर लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए । हस्ताक्षर क्षैतिज रूप से सरेखित होने चाहिए । **अपठनीय/ धुंधले /लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। हस्ताक्षर को निरस्त करने का प्रमुख कारण 'लघु' हस्ताक्षर है । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए अनुबंध-III में दिए गए निर्देशों का संदर्भ लें।**

ख) अर्हक शैक्षणिक योग्यता का विवरण जैसे परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल नंबर, प्रतिशत/सीजीपीए, विश्वविद्यालय का नाम आदि।

2. अपने **'पंजीकरण-संख्या'** और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगिन करें।

3. 'Latest Notification' टैब के अंतर्गत ‘Constable (GD) in CAPFs, SSF, Rifleman (GD) in Assam Rifles and Sepoy in Narcotics Control Bureau Examination-2025’’ सेक्शन के ‘Apply’ लिंक पर क्लिक करें।

4. क्रम सं.-1 से 18 कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भरी जाएगी जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तथापि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण के किसी भी ब्योरे में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने डैशबोर्ड के बाएं हाथ के ऊपर कोने में प्रदान किए गए ‘Modify Registration’ टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपर्युक्त संशोधन कर लें।

5. क्रम संख्या-19: कृपया अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करें।

6. क्रम संख्या-20: अर्हक शैक्षणिक योग्यता के विवरण का उल्लेख करें (परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा सं. 7.1 एवं 7.2 के अनुसार)।

   1. क्रम संख्या-20.1: अपनी शैक्षणिक योग्यता (EQ) की स्थिति का उल्लेख करें।
   2. क्रम संख्या-20.2: उत्तीर्ण होने का वर्ष दर्शाएं।
   3. क्रम संख्या-20.3: परीक्षा बोर्ड के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख करें।
   4. क्रम संख्या-20.4: बोर्ड का नाम दर्शाएं।
   5. क्रम संख्या-20.5: अपनी अनुक्रमांक संख्या दर्शाएं।
   6. क्रम संख्या-20.6: अपनी प्रतिशतता दर्शाएं (वर्ष 2020 और 2021 हेतु अभ्यर्थी जिनके अंकपत्र (Marksheet) में कोविड-19 या अन्य किसी कारण से प्रतिशत नहीं दर्शाया गया है, वे अभ्यर्थी **NA** दर्ज कर सकते हैं)।
   7. क्रम संख्या-20.7: यदि लागू हो तो अपना सीजीपीए दर्शाएं।

7. क्र.स.-21: यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक (भूपुसै) हैं या सशस्त्र बलों में सेवारत हैं, तो वांछित जानकारी भरें। भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है और इसलिए उन्हें 'No' का चयन करना चाहिए।

   1. क्रम संख्या-21.1: सशस्त्र बलों में कार्यग्रहण की तारीख दर्शाएं।
   2. क्रम संख्या-21.2: सशस्त्र बलों से कार्यमुक्ति की तारीख/ कार्यमुक्ति की संभावित तारीख बताएं।
   3. क्रम संख्या-21.3: सशस्त्र बलों में सेवाकाल का समय दर्शाएं।
   4. क्रम संख्या-21.4: यदि आप भूतपूर्व सैनिक (ESM) हेतु आरक्षण का लाभ उठाकर पहले ही किसी सिविल पद पर नियुक्त हो चुके हैं तो 'Yes' इंगित करें (परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 5.3 देखें)।
   5. क्रम संख्या-21.5: सिविल पद में कार्यग्रहण की तारीख दर्शाएं।

8. अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करें। यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं या सशस्त्र सेना में कार्यरत हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों / भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है और इसलिए उन्हें ‘No’ विकल्प चुनना चाहिए।

9. क्र.स.-22: यदि आप आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो 'Yes' का चयन करें।

क. क्र.स.-22.1: उचित आयु- छूट कोड का चयन करें (परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 5.1 देखें) ।

10. क्र.स.-23: यदि आप डीओपीटी(DoP&T) के दिनांक 21/06/2016 के का.ज्ञा.सं.-39020/1/2016-स्था(पी) के अनुसार, रोजगार के अवसर प्राप्त करने हेतु अपनी व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराना चाहते हैं तो 'Yes' का चयन करें (कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा सं. 19 का संदर्भ लें)।

11. क्र.स.-24: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप उसी क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। तीनों केंद्रों के लिए विकल्प, वरीयता क्रम में दिया जाना चाहिए।

12. क्र.स.-25: कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए माध्यम के बारे में जानकारी प्रदान करें और माध्यम का सत्यापन करें ।

13. क्र.स.-26: यदि आप एनसीसी प्रमाणपत्र धारक हैं तो 'Yes' का चयन करें (परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 7.7 देखें) ।

    क्र.स.-26.1: एनसीसी प्रमाणपत्र का विवरण प्रदान करें (यथा एनसीसी प्रमाणपत्र के प्रकार) ।

14. क्र.स.-27: यदि आपने राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है तो 'Yes' का चयन करें । क्रम सं.- 27.1, 27.2, 27.3 एवं 27.4 में प्रमाणपत्र का विवरण प्रदान करें **। अभ्यर्थियों को खेल प्रमाणपत्र धारक होने के एवज़ में कोई अतिरिक लाभ/ अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे ।**

15. क्र.स.-28 एवं 29: अपना अधिवास राज्य / संघ राज्य क्षेत्र और अधिवास जिले का चयन करें। चूंकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और असम राइफल्स में राइफलमैन (सामान्य ड्यूटी) के पद के लिए रिक्तियां अधिवास आधारित हैं और रिक्तियां सीमावर्ती जिलों और नक्सल/आतंकवाद से प्रभावित जिले के लिए भी आरक्षित हैं, इसलिए आपको क्रम संख्या- 28 एवं 29 में आपके द्वारा उल्लिखित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिले से ही माना जाएगा। आपको दस्तावेज़ सत्यापन के समय क्र.स.-28 एवं 29 में आपके द्वारा निर्दिष्ट राज्य / संघ राज्य क्षेत्र और जिले का अधिवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। आपके द्वारा क्र.स.-28 एवं 29 में उल्लिखित अधिवास राज्य / संघ राज्य क्षेत्र व जिले और दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत अधिवास प्रमाण पत्र में उल्लिखित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र व जिले के बीच यदि कोई विसंगति मिलती है तो आपकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएगी।

16. क्र.स.-30: यदि आप अपने मूल राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में चले गए हैं तो 'Yes' का चयन करें ।

    क्र.स.-30.1: यदि आप अजा/अजजा/अपिव श्रेणी से संबंधित हैं और अपने मूल राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र से अपने अधिवास राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में स्थानांतरित हो गए हैं, तो आपके पास विकल्प है या तो आप अपने मूल राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र से आरक्षण का लाभ उठाएं अथवा आपको आपने वर्तमान अधिवास राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की रिक्तियों के प्रतिकूल, जैसा भी मामला हो, अनारक्षित अभ्यर्थी माना जाएगा **(यदि आप 'Yes' का चयन करते हैं तो आपको आपके मूल राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । यदि आप 'No' का चयन करते हैं तो आपको अपने अधिवास राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र से 'अनारक्षित' अभ्यर्थी माना जाएगा)** । अपना सुविचारित निर्णय लें और

तदनुसार इस कॉलम में जानकारी भरें (विस्तृत जानकारी के लिए परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 6.3, 6.4 और 6.5 को देखें)।

क्र.स.-30.2 एवं 30.3: अपने मूल राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की जानकारी प्रदान करें।

17. क्र.स.-31: **अनुबंध-XII** के अनुसार आतंकवाद/नक्सल प्रभावित जिलों की जानकारी स्वतः भर जाएगी।

18. क्र.स.-32: **अनुबंध -XI** के अनुसार सीमावर्ती जिलों की जानकारी स्वतः भर जाएगी।

19. क्र.स.-24: कें. स. पु. ब. (CAPFs)/ संगठनों की अपनी वरीयता दें। सभी आठ (8) विकल्पों को भरना अनिवार्य हैं।

हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करना (अभ्यर्थी को हस्ताक्षर अपलोड करने से संबंधित निर्देश अनुभाग-III में दिए गए हैं):–

20. निम्नलिखित निर्दिष्टानुसार बिना चश्मे/टोपी के अपनी लाइव फ़ोटो अपलोड करें:

क. अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें।

ख. फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है।

ग. अपने आप को वेबकैम के सामने रखें और सीधे सामने देखें।

घ. यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे में चित्रित लाल आयताकार स्थान के अंदर पूरी तरह समाहित हो और न तो यह बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो। यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस आयताकार स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए।

ङ. अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपीनज़र का चश्मा नहीं पहनना /मास्क या धूप का चश्मा , चाहिए।

च. किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपने पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो नहीं खींचनी चाहिए। ऐसे सभी आवेदन जिनमें अभ्यर्थी की पहले से मौजूद तस्वीर की फ़ोटो खींची गई हो, रद्द कर दिए जाएंगे।

छ. फोटो खींचते समय ईयरफोन या कोई भी उपकरण न पहनें।

21. निम्नानुसार अपना हस्ताक्षर अपलोड करें:-

1. अनुमत छवि आकार: JPEG/JPG प्रारूप में 10KB से 20KB।
2. छवि का आयाम: 300 डीपीआई (DPI) के रिज़ॉल्यूशन (resolution) पर लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई)।
3. लघु/धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।
4. हस्ताक्षर क्षैतिज रूप से संरेखित होना चाहिए।
5. स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने **अनुबंध-III (2/4)** में दिए गए हैं।

22. घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि स्वीकार है तो “मैं सहमत हूं” चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैप्चा कोड भरें।

23. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें। यदि आप किसी भी प्रविष्टि में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो ''Edit/Modify'' बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले अपेक्षित संशोधन कर लें। जब आप संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही भरी गई है, जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें और आवेदन जमा करें। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा करने के पश्चात आप ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर पाएंगे।

24. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।

25. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, रूपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके केवल ऑनलाइन किया जा सकता है। शुल्क भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञप्ति के पैरा-9 का संदर्भ लें।

26. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा और आवेदन की स्थिति 'आवेदन प्राप्त (विषयवस्तु सत्यापित नहीं)' के रूप में इंगित की जाएगी। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए । किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, आपको ऑनलाईन आवेदन से संबंधित शिकायतों, यदि कोई हो, को संबोधित करने के लिए ऑनलाईन आवेदन-प्रपत्र का प्रिंट-आउट देना होगा।

1. अभ्यर्थी की जानकारी :

1.1 व्यक्तिगत विवरण :

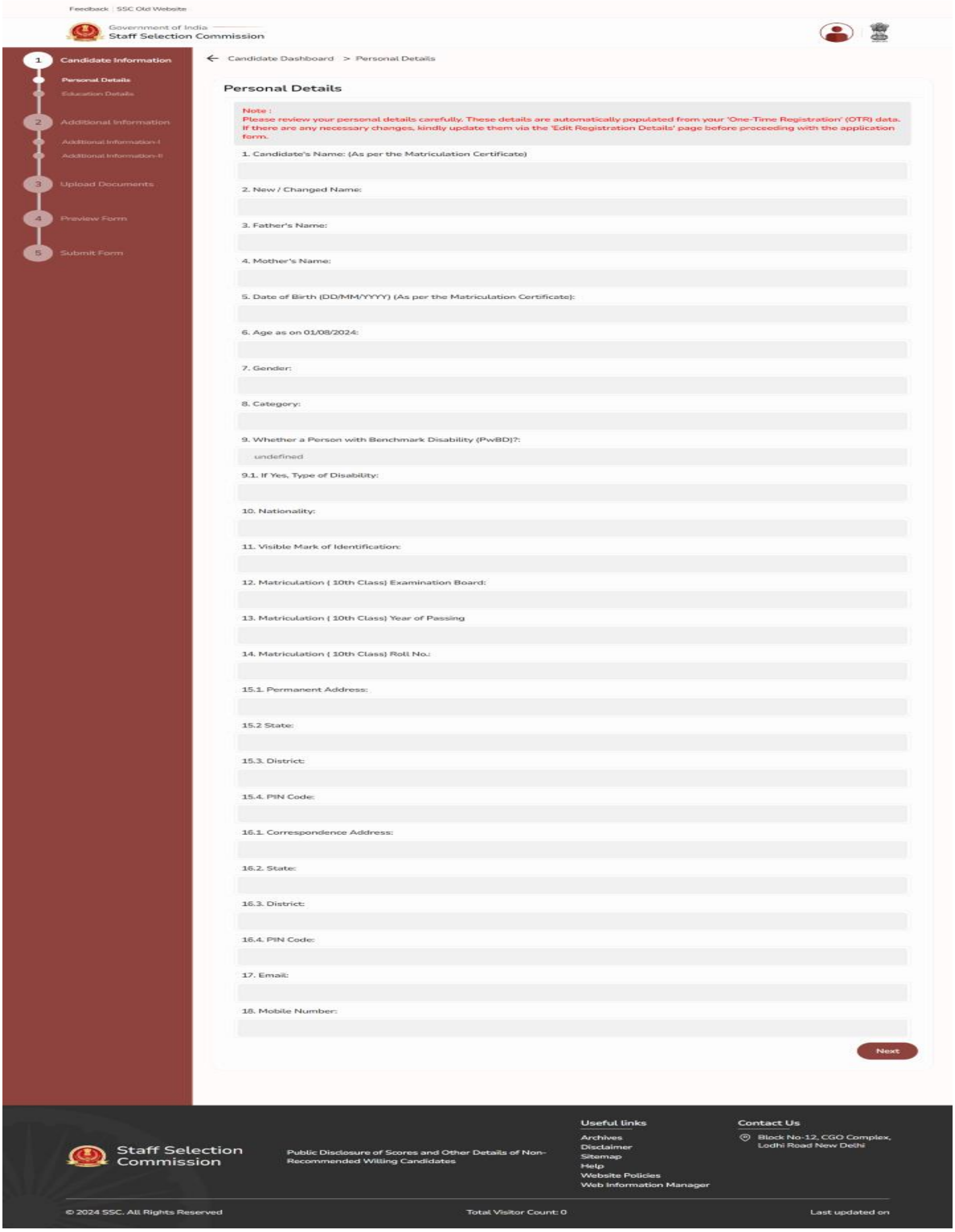

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Personal Details

Personal Details

Note :
Please review your personal details carefully. These details are automatically populated from your 'One-Time Registration' (OTR) data. If there are any necessary changes, kindly update them via the 'Edit Registration Details' page before proceeding with the application form.

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)
2. New / Changed Name:
3. Father's Name:
4. Mother's Name:
5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):
6. Age as on 01/08/2024:
7. Gender:
8. Category:
9. Whether a Person with Benchmark Disability (PwBD)?:
undefined
9.1. If Yes, Type of Disability:
10. Nationality:
11. Visible Mark of Identification:
12. Matriculation (10th Class) Examination Board:
13. Matriculation (10th Class) Year of Passing
14. Matriculation (10th Class) Roll No.:
15.1. Permanent Address:
15.2 State:
15.3. District:
15.4. PIN Code:
16.1. Correspondence Address:
16.2. State:
16.3. District:
16.4. PIN Code:
17. Email:
18. Mobile Number:

Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 0

Last updated on

1.2 शिक्षा का विवरण:

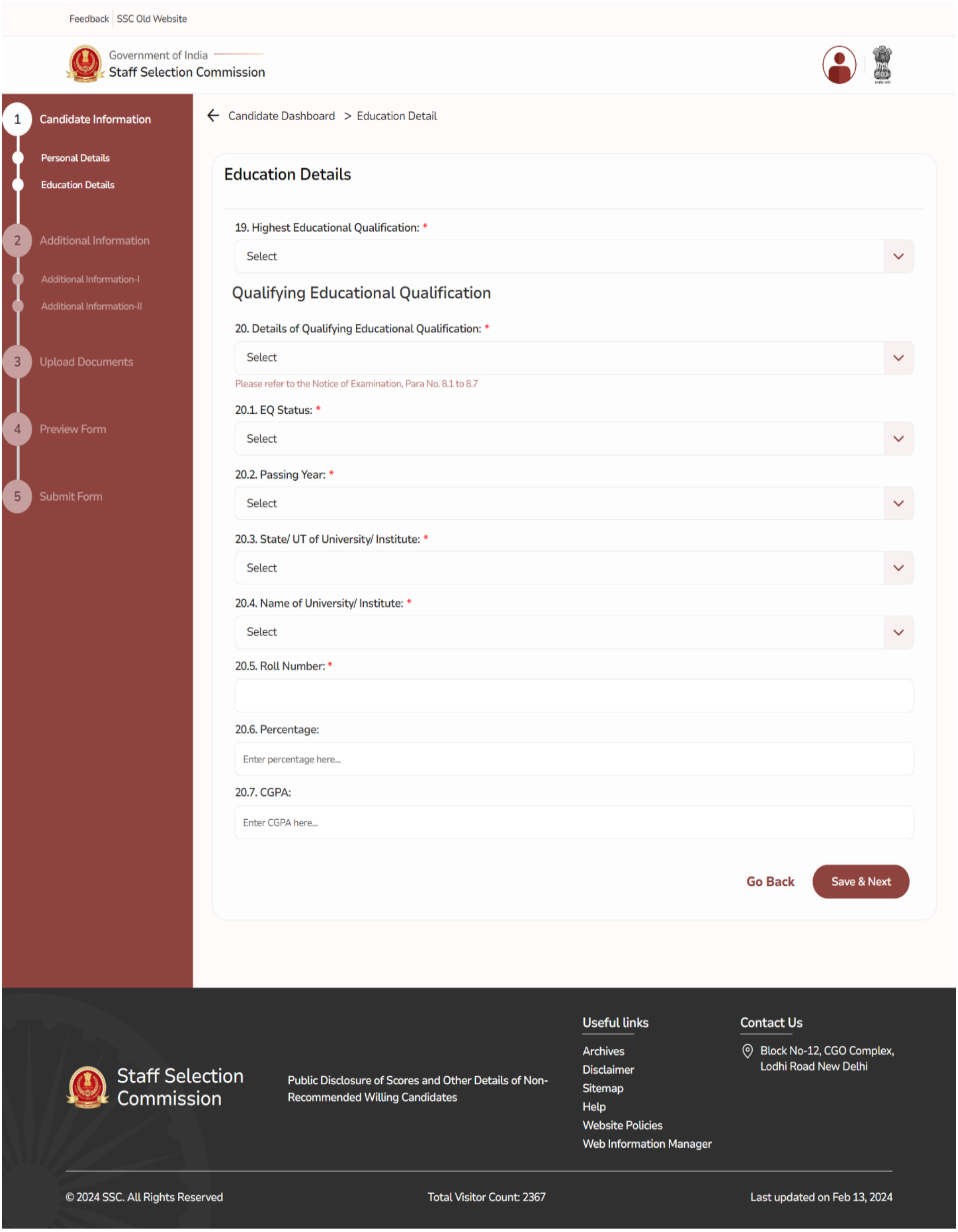
Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
Personal Details
Education Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form

Candidate Dashboard > Education Detail

Education Details

19. Highest Educational Qualification: *
Select

Qualifying Educational Qualification

20. Details of Qualifying Educational Qualification: *
Select
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 8.1 to 8.7

20.1. EQ Status: *
Select

20.2. Passing Year: *
Select

20.3. State/ UT of University/ Institute: *
Select

20.4. Name of University/ Institute: *
Select

20.5. Roll Number: *

20.6. Percentage:
Enter percentage here...

20.7. CGPA:
Enter CGPA here...

Go Back | Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 2367
Last updated on Feb 13, 2024

2. अतिरिक्त जानकारी:

2.1 अतिरिक्त जानकारी-I :

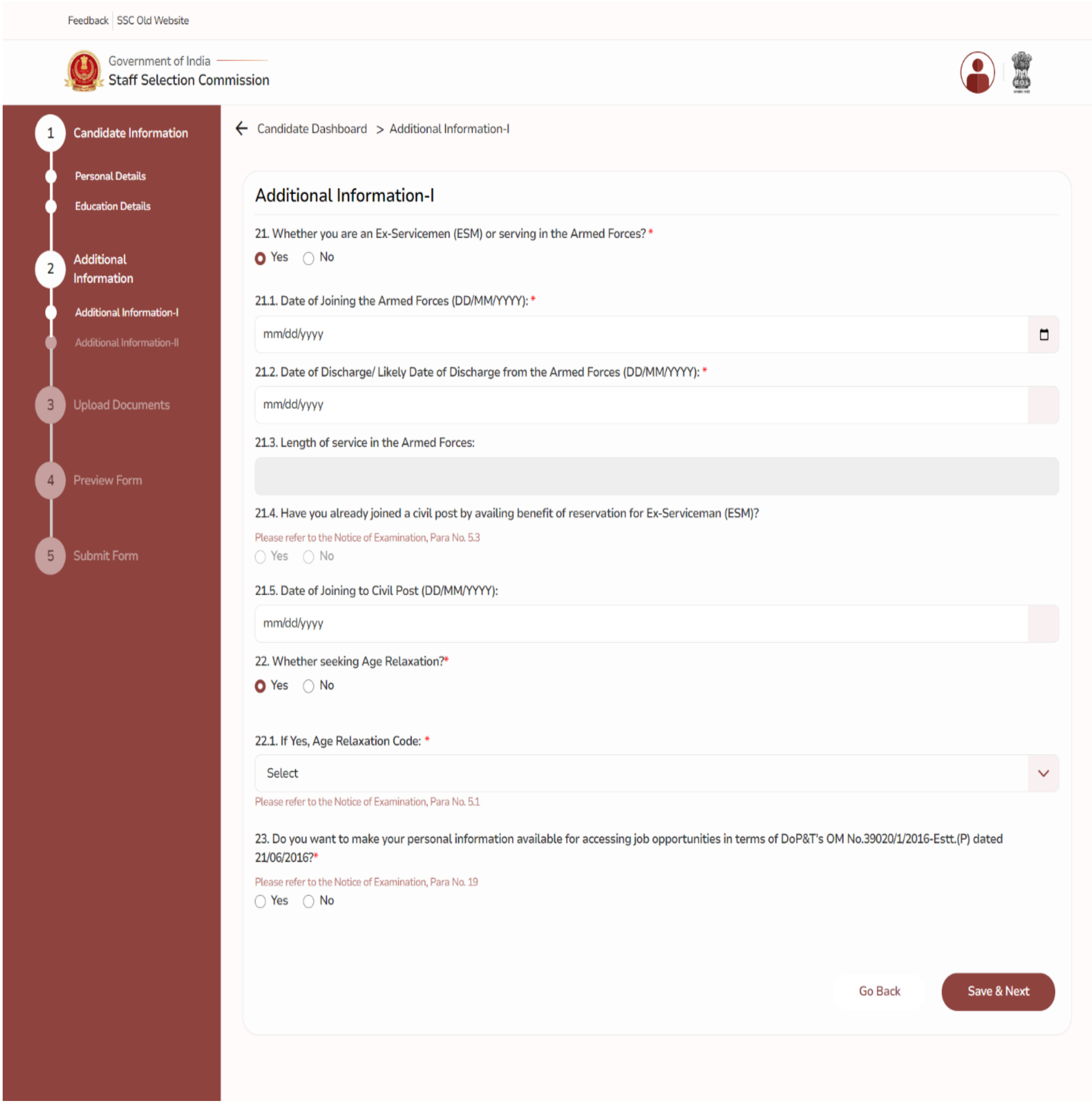

2.2 अतिरिक्त जानकारी-II:

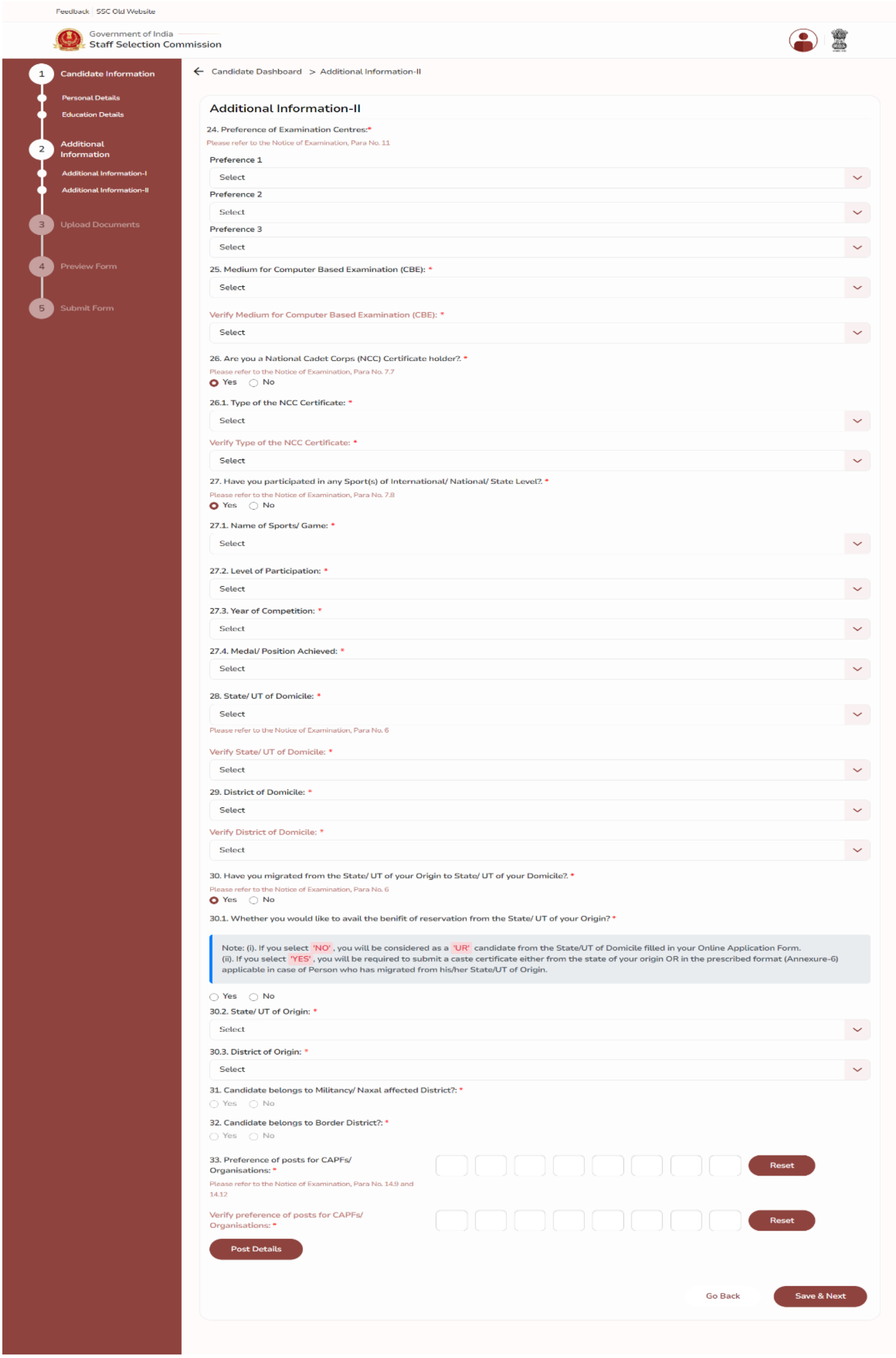

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

Candidate Dashboard > Additional Information-II

Additional Information-II

24. Preference of Examination Centres:*
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 11

Preference 1: Select
Preference 2: Select
Preference 3: Select

25. Medium for Computer Based Examination (CBE): * Select

Verify Medium for Computer Based Examination (CBE): * Select

26. Are you a National Cadet Corps (NCC) Certificate holder? *
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 7.7
Yes / No

26.1. Type of the NCC Certificate: * Select

Verify Type of the NCC Certificate: * Select

27. Have you participated in any Sport(s) of International/ National/ State Level? *
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 7.8
Yes / No

27.1. Name of Sports/ Game: * Select

27.2. Level of Participation: * Select

27.3. Year of Competition: * Select

27.4. Medal/ Position Achieved: * Select

28. State/ UT of Domicile: * Select
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 6

Verify State/ UT of Domicile: * Select

29. District of Domicile: * Select

Verify District of Domicile: * Select

30. Have you migrated from the State/ UT of your Origin to State/ UT of your Domicile? *
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 6
Yes / No

30.1. Whether you would like to avail the benifit of reservation from the State/ UT of your Origin? *

Note: (i). If you select 'NO', you will be considered as a 'UR' candidate from the State/UT of Domicile filled in your Online Application Form.
(ii). If you select 'YES', you will be required to submit a caste certificate either from the state of your origin OR in the prescribed format (Annexure-6) applicable in case of Person who has migrated from his/her State/UT of Origin.

Yes / No

30.2. State/ UT of Origin: * Select

30.3. District of Origin: * Select

31. Candidate belongs to Militancy/ Naxal affected District?: *
Yes / No

32. Candidate belongs to Border District?: *
Yes / No

33. Preference of posts for CAPFs/ Organisations: * [Reset]
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 14.9 and 14.12

Verify preference of posts for CAPFs/ Organisations: * [Reset]

[Post Details]

Go Back [Save & Next]

3. फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करना :

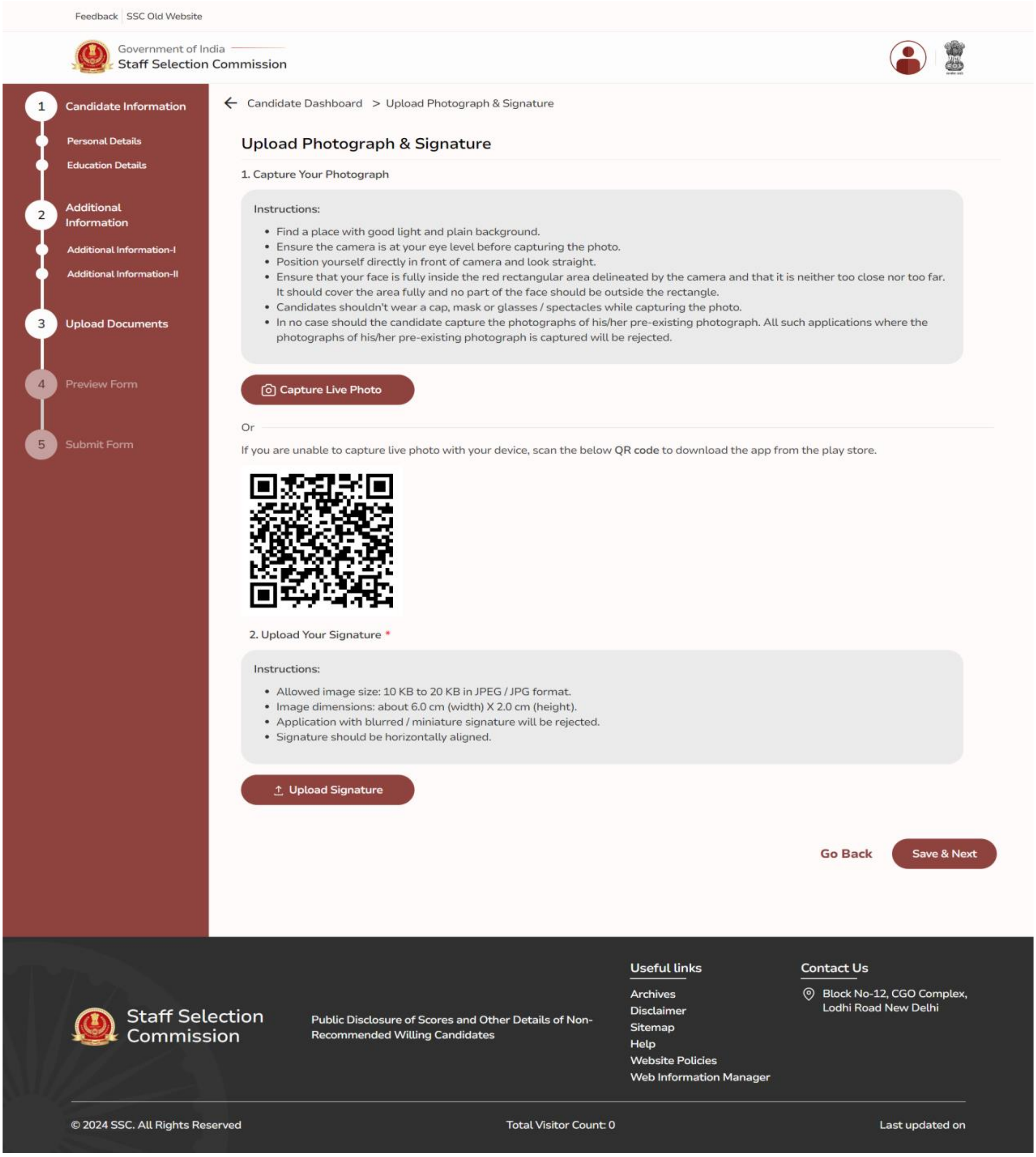

4. ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का पूर्वावलोकन :

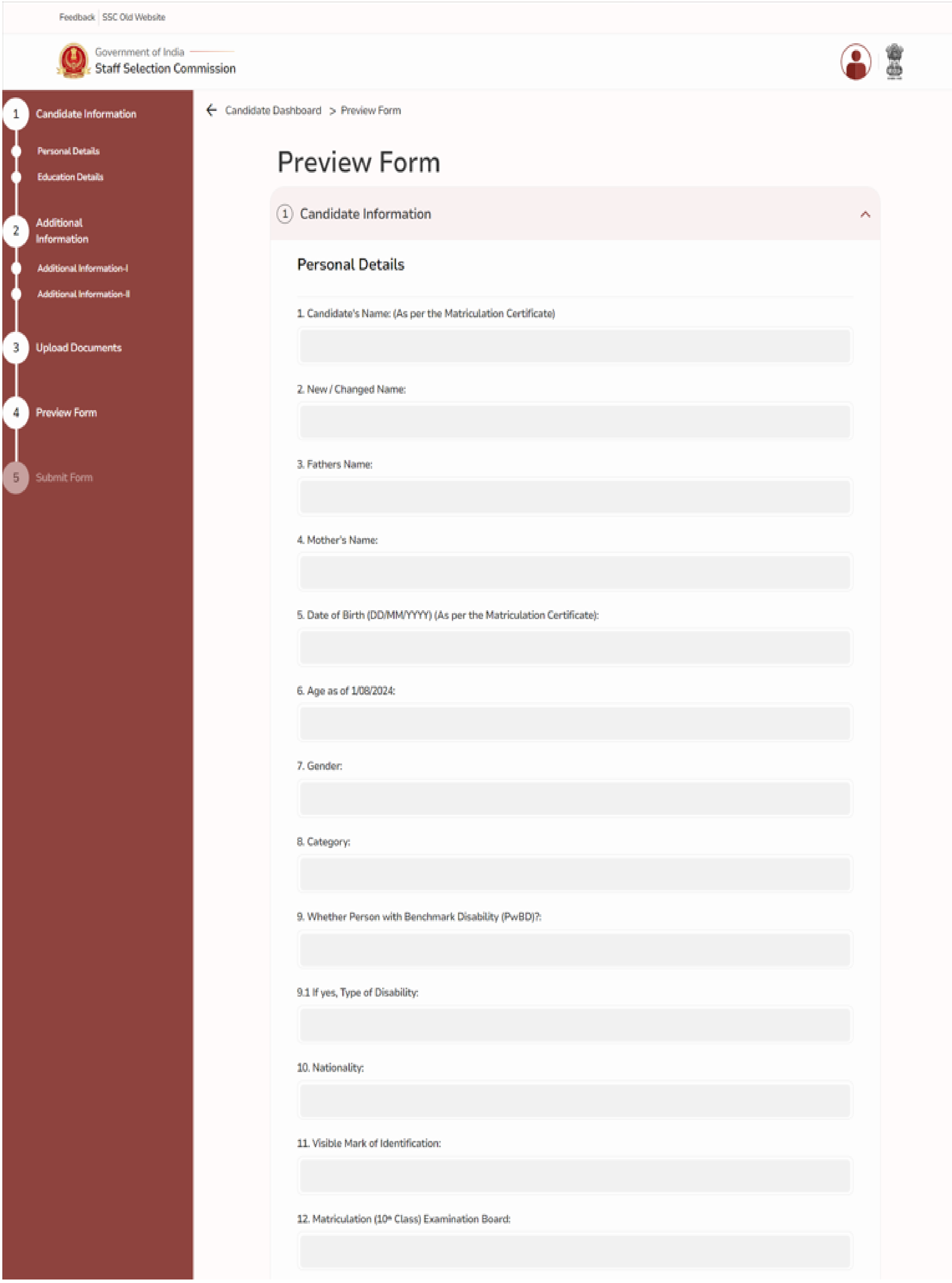

13. Matriculation (10th Class) Year of Passing:

14. Matriculation (10th Class) Roll No.:

15.1. Permanent Address:

15.2 State:

15.3 District:

15.4 PIN Code:

16.1. Correspondence Address:

16.2. State:

16.3 District:

16.4 PIN Code:

17. Email:

18. Mobile Number:

Educational Details

Edit

19. Highest Educational Qualification:

20. Details of Qualifying Educational Qualification:

20.1. EQ Status:

20.2. Passing Year:

20.3. State / UT of Board:

20.4. Name of Board:

20.5. Roll Number:

20.6. Percentage:

20.7. CGPA:

(2) Additional Details

Additional Information-I

Edit

21. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces?:

21.1. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY):

21.2. Date of Discharge / Likely Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY):

21.3. Length of service in the Armed Forces:

21.4. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM)?:

21.5 Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):

22. Whether seeking Age Relaxation?:

22.1. If Yes, Age Relaxation Code:

23. Do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's OM No. 39020 / 1 / 2016-Estt.(P) dated 21/06/2016?:

Additional Information-II

Edit

24. Preference of Examination Centres:

24.1. Preference 1:

24.2. Preference 2:

24.3. Preference 3:

25. Medium for Computer Based Examination (CBE):

26. Are you a National Cadet Corps (NCC) Certificate holder?:

26.1 Type of the NCC Certificate:

27. Have you participated in any Sport(s) of International/ National/ State Level?:

27.1 Name of Sports/Game:

27.2 Level of Participation:

27.3 Year of Competition:

27.4 Medal/ Position Achieved:

28. State/ UT of Domicile:

29. District of Domicile:

30.Have you migrated from the State/ UT of your Origin to State/ UT of your Domicile?:

30.1. Whether you would like to avail the benifit of reservation from the State/ UT of your Origin?:

30.2. State/ UT of Origin:

30.3. District of Origin:

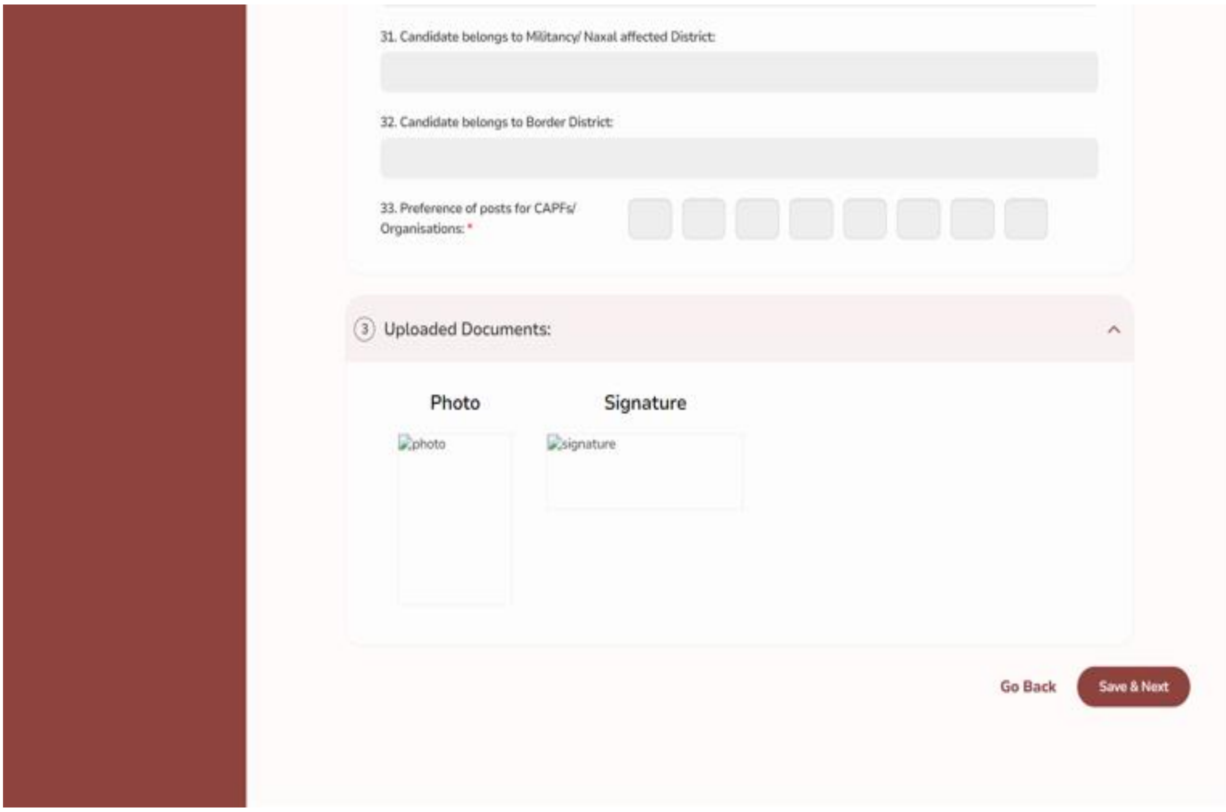
31. Candidate belongs to Militancy/ Naxal affected District:
32. Candidate belongs to Border District:
33. Preference of posts for CAPFs/ Organisations: *
3 Uploaded Documents:
Photo
Signature
photo
signature
Go Back
Save & Next

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की घोषणा तथा अंतिम प्रस्तुति :

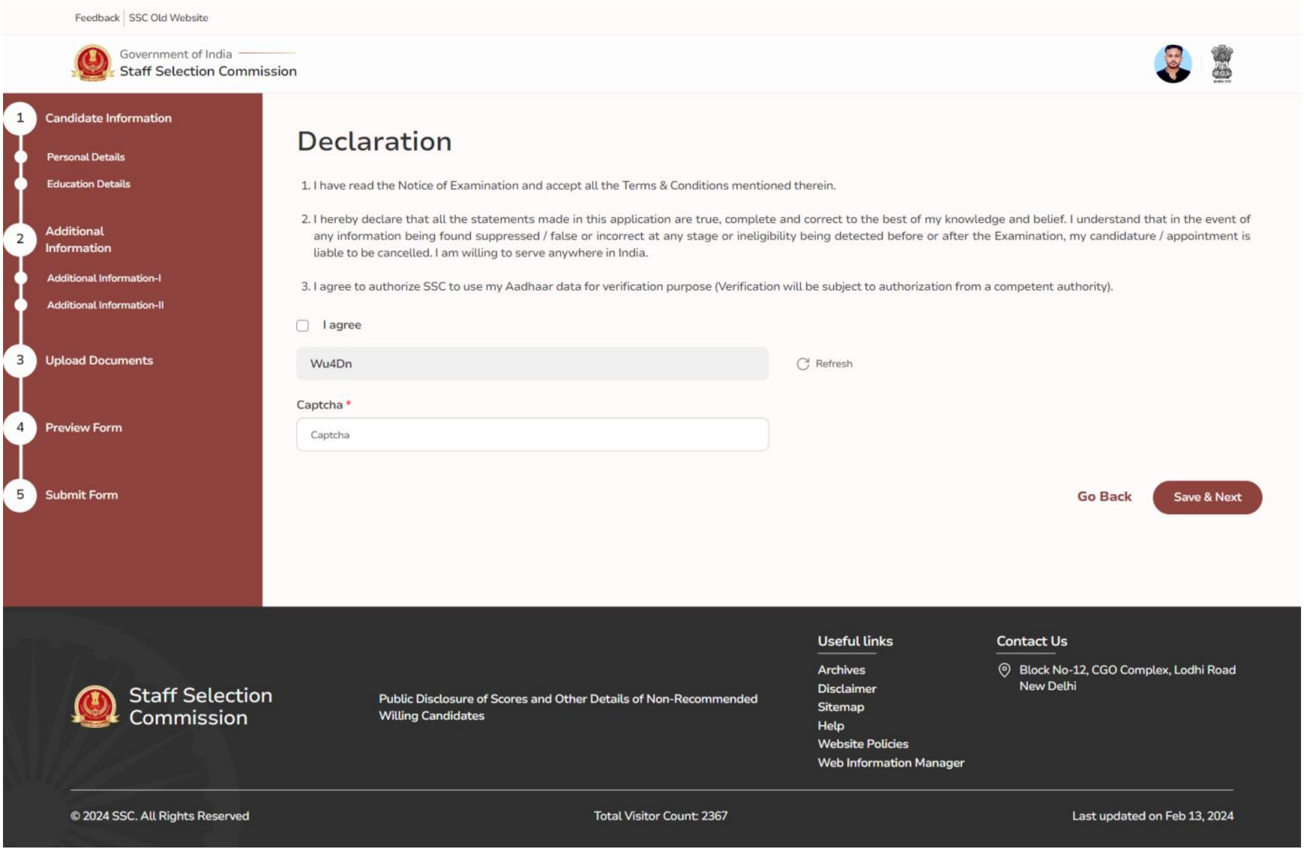
Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
Personal Details
Education Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form

Declaration

1. I have read the Notice of Examination and accept all the Terms & Conditions mentioned therein.
2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed / false or incorrect at any stage or ineligibility being detected before or after the Examination, my candidature / appointment is liable to be cancelled. I am willing to serve anywhere in India.
3. I agree to authorize SSC to use my Aadhaar data for verification purpose (Verification will be subject to authorization from a competent authority).

I agree

Wu4Dn
Refresh

Captcha *
Captcha

Go Back
Save & Next

Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 2367
Last updated on Feb 13, 2024

अनुबंध-III (1/4)

Instructions to Candidates for uploading of signatures

1) The major reasons for rejection of signatures are "miniature" signatures. Candidates are advised to cut the box and then sign within the box such that signature occupies at least 80% of the box.

Cut the box & Sign within the box

2) Samples of acceptable and rejected signatures are provided on the next page(Pg No 2). Candidates are advised to review these examples to understand which signatures will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

अनुबंध-III (2/4)

Signature

1. Good For Approval

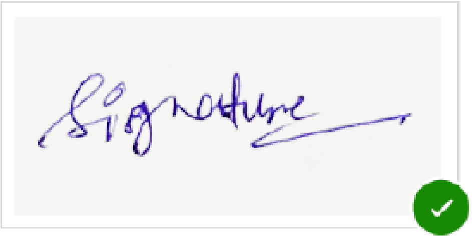

2. Rejected

3) The major reasons for rejection photographs are :

(i) Photo without plain background.

(ii) Candidates wearing caps

(iii) Candidates taking photos without shirts.

(iv) Photo not sufficiently bright.

(v) Photo is blurred

Candidates are advised to follow the instructions while capturing the photo that is displayed on the Website especially ensure plain background and photo is captured in well-lit area.

4) Samples of acceptable and rejected photographs are provided on the next page (**Page No 4**). Candidates are advised to review these examples to understand which photographs will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

Photograph

1. Good For Approval

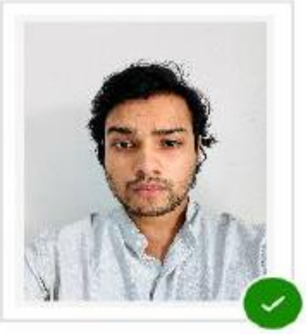

2. Rejected

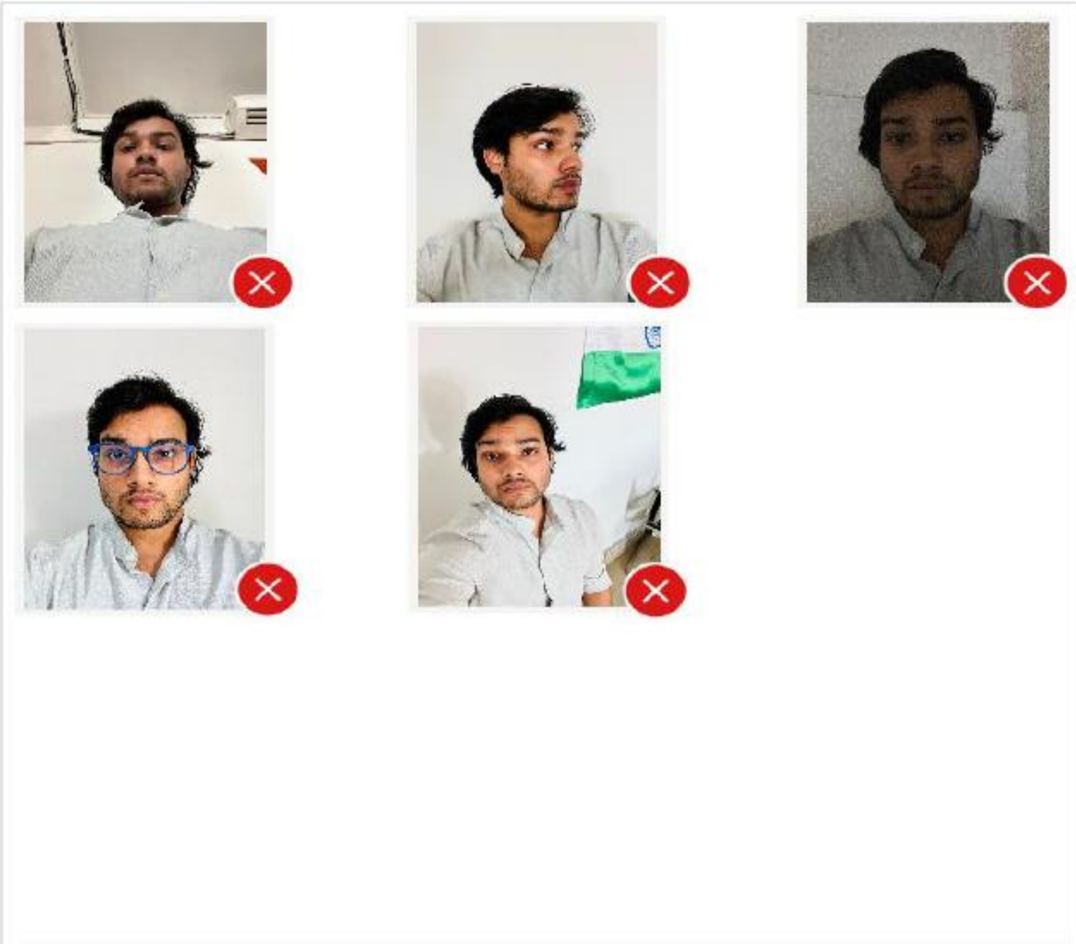

अनुबंध-IV

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार...(नंबर)..(रैंक)......................... (नाम) ....(दिनांक) ....को सशस्त्र बलों में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थानः (कमांडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांकः कार्यालय की मुहरः

अनुबंध -V

परिशिष्ट-V(क)

नियोजित कार्मिकों के लिए प्रमाण- पत्र प्रोफार्मा

यह सूचित किया जाता है कि …………………….. (यूनिट/कार्यालय) में…………….. (रैंक) के रूप में कार्यरत श्री/ श्रीमती/ कुमारी. ……………...... ने ………………….. (भर्ती एजेंसी का नाम) द्वारा विज्ञापन संख्या .... दिनांक………… ……… के अनुसार विज्ञापित ……………… के पद के लिए आवेदन किया है।

2. मैं एतदद्वारा उपलब्ध जानकारी के आधार पर, श्री/ श्रीमती /कुमारी………………….. (नाम) संख्या………………. (रैंक) के संबंध में निम्नानुसार सत्यापन करता/करती हूं कि :-

i) वह …………. (दिनांक) को अन्य शर्तों के अधीन, भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त करने के लिए............................. वर्ष(शब्दों में) की निर्धारित अवधि पूरी कर लेगा/लेगी। श्री/श्रीमती/कुमारी …………….. सैन्य सेवा छोड़ने के समय सेवा के …………….. वर्ष (शब्दों में) पूरा कर लेंगे/लेंगी।

ii) पदों पर चयन होने पर उन्हें सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

कमांडिंग अधिकारी

(हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट-V(ख)

भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत सिविल पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाले वचन-पत्र का प्रपत्र

मैं यह समझता/समझती हूं कि जिस भर्ती/परीक्षा से यह आवेदन संबंधित है, यदि उसके आधार पर मेरा चयन होता है, तो मेरी नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु मेरे द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी कि मुझे सशस्त्र बलों से विधिवत कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त/सेवामुक्त कर दिया गया है और यह कि मैं समय-समय पर संशोधित भूतपूर्व सैनिक (केंद्रीय सिविल और डाक सेवाओं में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 के अनुसार पूर्व सैनिकों के लिए अनुमत लाभों का/की हकदार हूं।

2. मैं यह भी समझता/समझती हूं कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण संस्थान के दिनांक 14.8.2014 के का.ज्ञा. सं..36034/1/2014-स्था.(रेज.) के अनुसार, सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों और जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है, उत्तरवर्ती नियोजन हेतु भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता/सकती हूं, यदि मैंने सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद उन विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए मैंने प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार विवरण से संबंधित नियोक्ता को मुझे करना चाहिए / वचन देना चाहिए।

अनुबंध- VI

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता(या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभयर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*..
पुत्र/पुत्री...निवासी ग्राम/कस्बा* ....
जिला/संभाग*......................................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*..................................के ....
जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त हैः-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.....................
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950.............................
संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*..
संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र आदेश,1951*...

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956.......................
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश,1959
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962@
संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश,1967@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@
संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ....के माता/पिता श्री/श्रीमती..निवासी ग्राम/कस्बा*... ....जिला/संभाग*...राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*... को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो ....जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो..दिनांक..द्वारा जारी .... राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी...और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*.......................जिला/संभाग*..............................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.......................में रहता है।

हस्ताक्षर..

**पदनाम...................................

स्थान..

दिनांक................................ (कार्यालय की मुहर सहित)

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।
@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणीः- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है।

**जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अफसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी :- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

अनुबंध-VII

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाल प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि..
पुत्र/पुत्री .... ग्राम ....जिला/संभाग ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के .... समुदाय से संबंधित हैं जो दिनांक------संकल्प सं.----------सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कु०..तथा/या उनका परिवार सामान्यतः ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के .... जिला/संभाग में रहता/रहते हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.36012/22/93-स्था. -(एससीटी), दिनांक 8.9.1993** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधीश या ____
उपायुक्त आदि. ____

दिनांकः

मुहरः

---

*प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा का उल्लेख करना होगा जिसमें अभयर्थी की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

* समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त सामान्यतः शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है।

अनुबंध- VIII

.... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या दिनांक __________________

वर्ष .... लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी __________________________ पुत्र/पुत्री/पत्नी ______________स्थायी निवासी ____________________गाँव/गली _____________ डाकघर ___________________ जिला ____________________ राज्य / संघ राज्य-क्षेत्र ______________ पिन कोड __________ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष .... के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है।उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _________________________ का संबंध ______________ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.................................

नाम ....

पदनाम...................................

अभ्यर्थी के हाल ही का पासपोर्ट आकार अनुप्रमाणित फोटोग्राफ

---

* टिप्पणी 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय।

** टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहनके साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है।

<u>अनुबंध-IX</u>

लंबाई अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ---पुत्र श्री--- ग्राम-- तहसील/तालुका---------------------------------------जिला---राज्य के स्थायी निवासी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :

* गढ़वाली, कुमायूंनी, डोगरा, मराठा की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित अभयर्थी।

* पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा, एवं दार्जिलिंग जिले के तीन जिलों नामतः दार्जिलिंग,कलिम्पोंग और कुरसियोंग सहित गोरखा प्रादेशिक प्रशासन(जीटीए) की श्रेणी में आने वाले इन जिलों में निम्नलिखित "मोजास" उप-मण्डल शामिल हैं:

(1) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटा आदलपुर (7) पहारू (8) सुकना वन (9) सुकना भाग-। (10) पंतापती वन-। (11) महानदी वन (12) चम्पासरी वन (13) सलवारी छाट भाग-॥ (14) सितोंग वन (15) सिवोक हिल वन (16) सिवोक वन (17) छोटा चेंगा (18) निपानिया

हस्ताक्षर
जिला मजिस्ट्रेट/उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

दिनांक :
स्थान :

* जो भी लागू नहीं हो उसे काट दें।

अनुबंध – X

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कोड

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**कोड**	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**कोड**
अंडमान और निकोबार द्वीप समीह	01	लक्ष्यद्वीप	19
आंध्र प्रदेश	02	मध्यप्रदेश	20
अरूणाचल प्रदेश	03	महाराष्ट्र	21
असम	04	मणिपुर	22
बिहार	05	मेघालय	23
चंडीगढ़	06	मिजोरम	24
छत्तीसगढ़	07	नागालैंड	25
दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीव	08	ओडिशा	26
दिल्ली	10	पुडुचेरी	27
गोवा	11	पंजाब	28
गुजरात	12	राजस्थान	29
हरियाणा	13	सिक्किम	30
हिमाचल प्रदेश	14	तमिलनाडु	31
जम्मू एवं कश्मीर	15	तेलंगाना	32
झारखंड	16	त्रिपुरा	33
कर्नाटक	17	उत्तर प्रदेश	34
केरल	18	उत्तराखंड	35
लद्दाख	37	पश्चिम बंगाल	36

अनुबंध- XI

सीमावर्ती जिलों की सूची:-

क्रम संख्या	राज्य	सीमावर्ती जिलें
1.	असम	धुबरी
2.		कछार
3.		करीमगंज
4.		कोकराझार
5.		दक्षिण शालमारा मानकाचर
6.		चिरांग
7.		बाक्सा
8.		उदालगुड़ी
9.		तामुलपुर
10.	अरुणाचल प्रदेश	तिरप
11.		चांगलांग
12.		लोंगडिंग
13.		तवांग
14.		पश्चिम कामेंग
15.		पूर्वी कामेंग
16.		ऊपरी सोवनसिरि
17.		कुरूंग कुमें
18.		करा डाडी
19.		शि योमी
20.		सियांग
21.		ऊपरी सियांग
22.		निचली दिवांग घाटी
23.		दिवांग घाटी
24.		अंजॉ
25.	बिहार	पश्चिम चम्पारण
26.		पूर्वी चम्पारण
27.		सीतामढ़ी
28.		मधुबनी
29.		सुपौल
30.		अररिया
31.		किशनगंज
32.		कच्छ

33.	गुजरात	बानसकाण्ठा
34.		पाटन
35.	हिमाचल प्रदेश	लहाऊल तथा स्पिति
36.		किन्नौर
37.	जम्मू एवं कश्मीर	कुपवाडा
38.		बारामूला
39.		बांदीपुर
40.		पुंछ
41.		राजौरी
42.		जम्मू
43.		कठुआ
44.		सांबा
45.	लद्दाख	लेह
46.		कारगिल
47.	मणिपुर	उखरूल
48.		चंडेल
49.		चुराचांदपुर
50.		कांमजोंग
51.		टेगनोपॉल
52.	मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स
53.		पश्चिम जयंतिया हिल्स
54.		पूर्वी खासी हिल्स
55.		पूर्वी जयंतिया हिल्स
56.		दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स
57.		दक्षिण गारो हिल्स
58.		दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स
59.	मिजोरम	चमपाई
60.		लवांगतलाई
61.		साईहा
62.		सरछिप
63.		ह्नाह्थिअल
64.		सैतुअल
65.		ममित
66.		लूंगली
67.	नागालैंड	पेक
68.		किफायर
69.		मोन
70.		ट्वेनसांग

71.		नोकलाक
72.		शामतोर
73.	पंजाब	गुरदासपुर
74.		पठानकोट
75.		अमृतसर
76.		फिरोजपुर
77.		तरन-तारन
78.		फाजिल्का
79.	राजस्थान	श्री गंगा नगर
80.		बिकानेर
81.		जैसलमेर
82.		बाड़मेर
83.	सिक्किम	पैकयोंग
84.		सोरेंग
85.		ग्यालसियांग (पश्चिमी जिला)
86.		मंगन (पूर्वी सिक्किम)
87.		गंगटोक (उत्तरी सिक्किम)
88.	त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा
89.		पश्चिम त्रिपुरा
90.		दक्षिण त्रिपुरा
91.		ढलाई
92.		ऊनाकोटी
93.		खवाई
94.		सेपाहीजाला
95.		गोमाटी
96.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना
97.		उत्तर 24 परगना
98.		नदिया
99.		मुर्शिदाबाद
100.		मालदा
101.		दक्षिण दिनाजपुर
102.		उत्तर दिनाजपुर
103.		दार्जिलिंग
104.		जलपाईगुड़ी
105.		कूचबिहार
106.		अलिपुरद्वार
107.		कालिमपोंग
108.		उत्तरकाशी

109.	उत्तराखंड	चमौली
110.		पिथोरागढ़
111.		चम्पावत
112.		उधम सिंह नगर
113.	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत
114.		लखीमपुर खेरी
115.		बहराइच
116.		श्रावस्ती
117.		बलरामपुर
118.		सिद्धार्थनगर
119.		महाराजगंज

(उग्रवाद / नक्सल प्रभावित जिलों की सूची)

क्र. स.	राज्य	जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1.	आंध्र प्रदेश	01	अल्लूरी सीतारामराजू
2.	छत्तीसगढ़	15	बस्तर, बीजापुर, दंतेवाडा, धन्तरी, गरियाबंद,काकेर,कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनंदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़- छुईखदान-गंडई, सुकमा, कबीरधाम, मुंगेली
3.	झारखंड	05	गिरिडीह, गुमला, लतेहार, लोहरडग्गा, पश्चिमी सिंघभूम
4.	केरल	02	वायानाड, कन्नूर
5.	मध्य प्रदेश	03	बालाघाट, मंडला, दिंदोरी
6.	महाराष्ट्र	02	गढ़चिरोली, गोंदिया
7.	उडीसा	07	बोलनगीर,कालाहांडी, कोंदमल, मलकनगिरी, नवरंगपुर, नुआपडा, रयागडा
8.	तेलंगाना	02	भद्राद्री-कोठागुडम, मुलुगु
9.	पश्चिम बंगाल	01	झारग्राम
	कुल योग	**38**	
10	अरूणाचल प्रदेश	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
11	असम	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
12	जम्मू और कश्मीर	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
13	लद्दाख	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
14	मणिपुर	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
15	मेघालय	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
16	मिजोरम	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
17	नागालैंड	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
18	त्रिपुरा	समस्त जिले	आतंकवाद प्रभावित
19	**कुल योग**	**9 राज्य/ संघराज्य**	

पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए जन्म/पहचान प्रमाणपत्र

सरपंच/नंबरदार/नायब तहसीलदार का कार्यालय..

फोटोग्राफ

जम्मू और कश्मीर/ लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में निवास कर रहे पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी के लिए पहचान पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती .... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री.. पूर्व में अविभाजित भारत (वर्तमान पाकिस्तान के ....गांव..........................तहसील .... जिला के रहने वाले वर्तमान में मकान संख्या .... गली/लेन संख्या........................... मोहल्ला.............................. गांव...................................तहसील .... जिला .... में रह रहे है, जो 1947 के भारत पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान से प्रवास करने के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी हैं।

सरपंच/नम्बरदार/नायब तहसीलदार

क्रम सं.	खेल का नाम
1.	तीरंदाजी
2.	दंगल
3.	बैडमिंटन
4.	बास्केटबॉल
5.	बॉडीबिल्डिंग
6.	मुक्केबाजी
7.	क्लाइंबिंग
8.	क्रॉस कंट्री
9.	फुटबॉल
10.	ग्रीको (रोमन कुश्ती)
11.	जिम्नास्टिक
12.	हैंडबॉल
13.	हॉकी
14.	जूडो
15.	कबड्डी
16.	कराटे
17.	राफ्टिंग
18.	निशानेबाजी
19.	तैराकी
20.	टेबल टेनिस
21.	वॉलीबॉल
22.	जल क्रीड़ा
23.	भारोत्तोलन
24.	कुश्ती
25.	वुशु
26.	अन्य खेल